कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2018 / 136 दिनांक :: 12 फरवरी, 2018

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 9 फरवरी, 2018 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में लिये गय निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: Approval of Retrofitting work for Span P46-P47 in 2nd elevated level of the work of Construction of 4-lane ROB in lieu of RUB B-72 (Between Riktiya Bhairuji Choraya & Rotary Circle), Jodhpur.

With reference to above cited subject, the work of Construction of 4-lane ROB in lieu of RUB B-72 (Between Riktiya Bhairuji & Rotary Circle), Jodhpur was sanctioned in the budget of GOR in 2013-14. Administrative and Financial Sanction for the above work is Rs. 111.00 Crore. Vide this office agreement no. F38(01)/2013-14/EE Zone ROBII/B-72, the work order was issued to M/s G.R. Infraprojects Ltd. Udaipur for an amount of Rs. 95,95,58,908/- As per work order, the stipulated date of start of the work was 27.08.2013 and stipulated date of completion was 26.02.2016. As per the approved GAD, Design & Drawing and as per requirement of the site, interim Deviation Statement was approved by the Director Engineering on dated 28.05.2014. After successful completion of load testing and recommendations of Design- Supervision Consultant 1st level of ROB was opened for public traffic on dated 23.08.2017.

In one of the span of 2nd level of ROB Riktiya Bhairuji, P46-P47, deflection was noticed and it was conveyed to the Design-Supervision Consultant telephonically as well as in written vide this office letter no. 259, dated 17.08.2017 for comment/

2✓

suggestion/ remedial measures. Design-Supervision Consultant along with Bridge expert Sh. Sunil S. Jadhav visited the site on dated 23.08.2017 and submitted their technical report vide their letter no IIIE/08/318 dated 23.08.2017. This technical report was submitted before Hon'ble High Court on 24.08.2017 in which it was mentioned that technical reason behind observed deflection at site is two directional curvilinear shape of girders which has complex behavior and difficult to definitely assess. In addition, it was also mentioned that construction work at site were done as per approved drawings, technical standards, specifications, quality assurance and there is no quality related issues in the structures. Hon'ble High Court in its decision dated 24.08.2017 mentioned that major part of over bridge has already been opened for movement of traffic and little part requires some retrofitting process of structure.
JDA issued notice to Design-Supervision Consultant M/s IIIE, Bangalore regarding submission of detailed technical reasons for deflection observed in composite girder vide letter no. 279, dated 24.08.2017. M/s IIIE Ltd submitted reply vide their letter no. IIIE/09/326 dated 04.09.2017 mentioning that the composite structure of 45mtr span curved in plan and vertical profile, is of unique and first of its kind to be adopted in Indian context. Its behavior regarding deflection is somewhat complex and difficult to assess.

In order to have independent technical expert opinion/ reasons regarding observed deflection in composite girder Span P46-P47 a request letter from JDA vide letter no 322 dated 04.09.2017 was sent to Prof. (Dr.) Ajay Sharma, Department of Structural Engineering, M.B.M. Engineering College, JNVU, Jodhpur. Prof. (Dr.) Ajay Sharma submitted his technical report vide letter dated 04.10.2017 mentioning that curved span is constituting of multiple steel 'I' girder which is probably complex in rotational-deflection behavior. In addition in his report it was also mentioned that there is no visual evidences of any signs of distress either in concrete deck or in curved plate girder assembly. In such complex designs, extra efforts have to be made to ensure such issues like control/ stabilization of deflection. In his letter, it was also admitted that retrofitting will make curved span permanently safe and serviceable.
JDA vide its letter no 299, dated 29.08.2017 submitted notice to M/s G.R. Infraprojects Ltd. regarding functioning of Bearing of Composite girder span P46-P47. Contractor M/s G.R. Infraprojects Ltd. submitted certificate/undertaking vide their letter no. GRIL/ROB/JODH/546, dated 13.09.2017 stating "All installed POT PTFE Bearing have been checked and found them in order. Their locking nuts have been removed and there is no sign of distress in POT PTFE Bearings and bearing pedestal."

Present condition of Composite girder span P46-P47 is not in failure/ damaged condition. In order to make Bridge fully functional/ serviceable and to ensure long life of structure, Deign-Supervision Consultant, Bridge Expert and technical opinion of MBM Engineering College has recommended retrofitting. Being structure not in failure/ damaged condition, retrofitting cost shall be borne by JDA, because retrofitting is additional effort to make existing structure serviceable, functional and for its safety and long life of structure.
In order to control/ stabilize observed deflection of Span P46-P47, incorporation of 2 intermediate supports, provision of Bow String Girder in central part for restoration of deflection, provision of new spherical bearings at new intermediate supports and replacement(if required) of bearing at P46 & P47 shall be part of retrofitting. Construction of new intermediate supports shall be done using available BOQ items; for Bow String Girder RUIDP BSR 2013 shall be adopted and for remaining

retrofitting items current market rates shall be adopted. Rate analysis of Non BSR items have been approved by SE & DE as per the provisions of SOP, and it was conveyed to the contractor vide letter no. 510, dated 27.10.2017 with direction to speed up construction activity by making additional mobilization of manpower, machine and material so that retrofitting work may be completed at an earliest and benefit of prestigious project may be extended to the public of Jodhpur city. Accordingly, contractor resumed construction activity as per the vetted and approved design & drawing. Till date, intermediate support P46a/b is completed and pier plus stagging arrangement of P47a/b is also completed and its pier cap is in progress.

The above matter was earlier submitted vide proposal no. 45 (Part-2) before the EC meeting of JDA held on dated 15.11.2017. Minutes of meeting of EC held on dated 15.11.2017 was issued vide no. 1183-1198 dated 24.11.2017. In Minutes of meeting, decision regarding framing of committee of Director Engineering, (Chief Engineer, JDA, Jodhpur), Superintending Engineer (Any two from JDA Jodhpur to be selected by Director Engineering) & one Executive Engineer from PWD for which Commissioner, JDA, Jodhpur will request Addl. Chief Engineer PWD, Jodhpur to depute one of his best Civil Engineer preferably having experience in bridge construction for assistance in detailed examination to arrive at conclusion that true reason of deflection and whether this deflection is due to design or execution should be examined first. In compliance to this decision, The Commissioner, JDA Jodhpur vide office letter no. 578 dated 06.12.2017 framed committee of Sh. Mahendra Mathur- D.E. JDA Jodhpur, Sh. Sukhram Choudhary- S.E.-I JDA Jodhpur, Sh. Gyaneshwar Vyas- S.E.-III JDA Jodhpur & one Executive Engineer of PWD deputed by Addl Chief Engineer, PWD, Zone Jodhpur. The Commissioner, JDA, Jodhpur vide letter no. 574 dated 06.12.2017 requested The Addl Chief Engineer, PWD, Jodhpur Zone to depute 1 Executive Engineer as a part of above framed committee. The Addl Chief Engineer, PWD Jodhpur Zone vide letter no. 11446-50 dated 11.12.2017 nominated Sh. Vineet Gupta Executive Engineer, PWD, District Dn II Jodhpur to join the committee. The above framed committee submitted the report to the JDC,JDA, Jodhpur vide letter no. 4629 dated 15.12.2017. According to the report of the framed committee, "There is no error/ negligence on the part of supervision during execution. Main cause of deflection seems complex behavior of the structure. Concrete quality and appearance of this structure as well as remaining structures of bridge establishes that due diligence have been paid by field Engineers at site during execution".

Hence, the matter is again submitted alongwith the framed committee report regarding Sanction of Retrofitting work of Span P46-P47 of second elevated Bridge at Riktiya Bhairuji, Jodhpur. Tentative cost of retrofitting work is Rs. 3,34,09,047/- Hence the agenda is submitted for approval of retrofitting work of Span P46-P47 of second elevated Bridge amounting to Rs. 3,34,09,047/- herewith before Executive Committee as per the provisions of the SOP vide S. No. 26 & 27.

Dicision

Looking to the report submitted by committee constituted of Director Engineering, JDA, two Supdt. Engineers, JDA and one Executive Engineer of PWD that, " there is no error/ negligence on the part of supervision during execution. Main cause of deflection seems complex behavior of the structure. Concrete quality and appearance of this structure as well as remaining structures of bridge establishes that due diligence have been paid by field Engineers at site during execution" and earler report submitted by bridge expert Shri Sunil S. Jadhav and independent technical opinion of Prof. (Dr.) Ajay Sharma, Department of Structural Engineering, MBM

Engineering College, JNVU, Jodhpur retrofitting work which is already under progress (commence by the order of Commissioner, JDA Jodhpur earlier) of Rs. 3,34,09,047/- is hereby allowed.

प्रस्ताव संख्या 3 :: **आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 के रेट्रोफिटींग कार्य हेतु एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करने बाबत्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection की डिजाईन सुपरविजन कन्सलटेंट मैसर्स IIIE, Banglore एवं Bridge Experts श्री सुनील एस. जाधव की संयुक्त तकनीकी जाँच रिपोर्ट दिनांक 23.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। इस तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection आने का मुख्य कारण इस प्रकार के पुल जिनमें विशिष्ट प्रकार की डिजाईन एवं बनावट सम्मिलित हो, उनमें Deflection प्राप्त होना तकनीकी दृष्टि से स्वाभाविक है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा Department of Structural Engineering, M.B.M. Engineering College, JNV University, Jodhpur को भी कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection के तकनीकी जाँच हेतु प्रेषित पत्र क्रमांक 322 दिनांक 04.09.2017 के अनुसरण में प्रो. अजय शर्मा, Department of Structural Engineering, M.B.M. Engineering College, JNV University, Jodhpur का प्राप्त पत्र दिनांक 04.10.2017 के अनुसार कार्यस्थल पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्माण कार्य को स्वीकृत डिजाईन, ड्राईंग एवं गुणवत्तापूर्वक पाया गया। प्राप्त Deflection का तकनीकी कारण पुल की Complex डिजाईन एवं बनावट को बताया गया। इसके साथ यह भी बताया गया कि इस प्रकार के प्राप्त Deflection को Retrofitting कार्य करके Permanently Safe and Servicable बनाया जा सकता है।
आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection को सीमा में एवं स्थिर करने हेतु प्रस्तावित रेट्रोफिटींग कार्य जो कि अपने आप में एक विशिष्ट तकनीकी कार्य है जिसका क्रियान्वयन अनुभवी एवं तकनीकी दक्ष प्रोफेशन्लस की देखरेख में करना उचित रहता है। अतः तकनीकी दक्ष विशेषज्ञों की देखरेख में रेट्रोफिटींग कार्य को सम्पादित करने की दृष्टि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 447 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा Prof. Ajay Sharma, Department of Stuctural Engineering, JNVU, Jodhpur को रेट्रोफिटींग कार्य हेतु प्रोफेशनल सर्विसेज प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया था।

Prof. Ajay Sharma, Department of Stuctural Engineering, JNVU, Jodhpur के पत्र क्रमांक 156 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा रू. 5.00 लाख + 18% Service Tax का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 521 दिनांक 27.10.2017 के द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तुत दर में नेगोशियेशन हेतु निवेदन किया गया। Prof. Ajay Sharma, Department of Stuctural Engineering, JNVU, Jodhpur द्वारा विशिष्ट प्रकार का कार्य होने के कारण पूर्व प्रस्तावित दर में नेगोशियेशन करने में असमर्थता दर्ज की है। RTPP नियम 2013 के अनुसार प्रोफेशनल सर्विसेज हेतु राजस्थान सरकार के ऐसे विश्वविद्यालय जो UGC Act, 1956 के तहत् स्थापित किये गये है, से Single Source के रूप में परामर्शी सेवायें प्राप्त की जा सकती है।
प्राधिकरण की कार्यकारी बैठक मे दिनाक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 48 के तहत प्रकरण तैयार कर प्रोफेशनलस सर्विसेज हायर करने हेतु रू. 5.90 लाख (सभी कर सहित) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण कमांक सख्या 1183 दिनाक 24.11.2017 के द्वारा जारी किये गये थे जिसमे प्रस्ताव सख्या 48 के निर्णयानुसार उक्त प्रकरण का निर्णय 15.11.2017 की कार्यकारी बैठक के प्रस्ताव संख्या 45(2) के अन्तर्गत गठित कमेटी की रिर्पोट के आधार पर तय करना

निश्चित किया गया था । उक्त निर्णय की अनुपालना मे आयुक्त महोदय के पत्र कमांक 578 दिनाक 06.12.2017 के द्वारा कमेठी गठित की गयी थी । गठित कमेठी ने पत्र कमांक 4629 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा अपनी रिर्पोट आयुक्त महोदय को प्रक्तुत की जिसके अनुसार "There is no error/ negligience on the part of supervision during execution. Main cause of deflection seems complex behavior of the structure. Concrete quality and appearance of this structure as well as remaining structures of bridge establishes that due diligence have been paid by field Engineers at site during execution"। अत: प्रकरण पुन तैयार कर प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव रू. 5.90 लाख (सभी कर सहित) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार यह राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 'JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY DEVELOPMENT FUND ACCOUNT, JODHPUR' के खाते में जमा करवायी जानी है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या–2 के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर प्रोफेशनल सर्विस हायर करने हेतु राशि रूपये 5.90 लाख (सभी कर सहित) की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: Consultancy Services for ''Preparation of feasibility report & DPR for construction of ROB/RUB in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) along with its drainage disposal at Jodhpur (Rajasthan)'' हेतु राशि रू. 68.00लाख की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि लेवल क्रॉसिंग संख्या सी–168 (आर.टी.ओ. ऑफिस रोड़) के स्थान पर आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. बनाने हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं डीपीआर तैयार करने के लिये कन्सलटेन्सी सर्विसेज की आवश्यकता है। इस कन्सलटेंसी कार्य हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 349 दिनांक 06.09.2017 के द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, WAPCOS Ltd. को प्रस्ताव पत्र प्रेषित किया गया था। इस प्रस्ताव पत्र के अनुक्रम में WAPCOS Ltd, गुडगाँव के पत्र क्रमांक WAP/RUD/JDA/ROB/2017 दिनांक 28.09.2017 के द्वारा वित्तिय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार कन्सलटेंसी कार्य की लागत रू. 83.50 लाख + GST उल्लेखित की गई।

निदेशानुसार WAPCOS Ltd. के अधिकारियों से दुरभाष पर वित्तिय प्रस्ताव में नेगोशियेशन हेतु निवेदन किया गया जिसके फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 505 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा परियोजना लागत का 1 प्रतिशत कन्सलटेंसी चार्जेज के रूप में सहमती पत्र जारी किया गया।

WAPCOS Ltd. के प्रोजेक्ट इंजिनियर द्वारा दिनांक 26.10.2017 को साईट विजिट एवं जेडीए कार्यालय में बैठक के दौरान प्रस्तुत पत्र संख्या WAP/RUD/JDA/ROB/2017 दिनांक 27.10.2017 के अनुसार आर.ओ.बी. परियोजना की कुल लागत लगभग रू. 68.00 करोड़ है। अतः कन्सलटेंसी कार्य की अनुमानित लागत रू. 68.00 लाख (@1% of Project Cost) है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित SOP के क्रम संख्या 6 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ऐसे कन्सलटेंसी कार्य जिनकी लागत रू. 15.00 लाख से अधिक है, की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति का अधिकार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है। उक्त कार्य की रू 68.00 लाख की प्रशासनिक एव वितिय स्वीकृति निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास

प्राधिकरण के पत्र कंमाक 4408 दिनाक 09.11.2017 द्वारा जारी की जा चुकी है । प्राधिकरण की कार्यकारी बैठक मे दिनांक 15.11.2017 के प्रस्ताव संख्या 47 के तहत प्रकरण तैयार कर रू 68.00 लाख की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण कमांक सख्या 1183 दिनाक 24.11.2017 के द्वारा जारी किये गये थे जिसमे प्रस्ताव सख्या 47 के निर्णयानुसार उक्त कन्सलटेंसी कार्य की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति राशि रू. 68.00 लाख के स्थान पर लिपिक्य/टंकण त्रुटिवस रू. 15.00 लाख अंकित हो गयी थी । अत प्रकरण पुन तैयार कर उक्त कन्सलटेसी कार्य हेतु रू 68.00 लाख की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के प्रस्ताव संख्या–47 में सहवन से/टंकण त्रुटिवश अंकित 15.00 लाख रूपये के स्थान पर 68.00 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: आपदा प्रबन्धन कार्य में अधिक कार्य की स्वीकृति बाबत।

वर्ष 2014–15 के अनुबंध संख्या 38 (1) स्टोर/2014–15 के द्वारा आपदा प्रबंधन कार्य की मैसर्स बालाजी कन्स. कं. की दर संविदा की गई थी। जिसकी मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक 418–423 दिनांक 18.07.2014 राशि रू. 6.50 लाख की जारी की गई है व तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 11/14–15 दिनांक 26.07.14 राशि रू. 6.00 लाख की जारी की गई है प्राप्त बिल अनुसार उक्त कार्य पर अंतिम बिल तक कुल व्यय 5.93 लाख का किया गया है। उक्त दर संविदा के निविदा प्रपत्र मे निम्न सामग्री की उनके आगे अंकित तादाद मे दरे मांगी गई थी।

क्र.सं	समग्री	तादाद	वास्तविक तादाद	दर	वास्तविक तादाद राशि	अधिक तादाद	अधिक तादाद की राशि
1.	मिट्टी के कट्टे भरकर	1500 कट्टे	700 कट्टे	60	42000/–	शुन्य	शुन्य
2.	टेक्टर मय ट्रोली 4 कर्मचारी गेती फावडे P.O.L सहित 8.00 घंटे कार्य	20 सेट	18 सेट	4690	84420/–	शुन्य	शुन्य
3.	लोडरमय ड्राईवर एवं P.O.L सहित 8.00 घंटे कार्य	20 सेट	20 सेट + 18 सेट	11900	238000/–	18 सेट	214200/–

4.	मड पम्प मय ऑपरेटर एवं P.O.L सहित 8.00 घंटे कार्य						
	A) 2" पाईप दर प्रति 8 घंटा	10 नग	शुन्य		शुन्य	शुन्य	शुन्य
	B) 4" पाईप दर प्रति 8 घंटा	10 नग	3 नग	4790	14370 / —	शुन्य	शुन्य
	योग				378790 / —		214200 / —
	कुल व्यय				592990 / —		

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014 के अनुबंध संख्या 38 (1) स्टोर / 2014—15 के द्वारा आपदा प्रबन्धन कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18 जुलाई, 2014 को 6.50 लाख रूपये की जारी की गयी एवं उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति 6.00 लाख रूपये की जारी की गयी। निविदा पश्चात् मैसर्स बालाजी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार) के पत्र क्रमांक 323— 329 दिनांक 13 अगस्त, 2014 से 5.176 लाख रूपये से कार्यादेश जारी किया गया जिसके विरूद्ध लोडर मय ड्राईवर व पी.ओ.एल. सहित के मद में 214,200 / — रूपये की अतिरिक्त राशि व्यय होन से कुल व्यय 592,990 / — होना बताया गया है। चूंकि उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है एवं आपदा प्रबन्धन के तहत आकस्मिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए करवाया गया था। अतः सर्व सम्मति से उपरोक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 6 :: Beautification Consultancy कार्य की निविदा में प्राप्त दरों के अनुमोदन बाबत्।

संदर्भ :: जोन उत्तर की निविदा सूचना संख्या अधिशाषी अभियंता उत्तर / 10 / 2017—18 दिनांक 14.09.2017

उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति क्रमांक 3002 दिनांक 21.06.2017 राशि 30.00 लाख की प्राप्त की जाकर दिनांक 14.09.2017 को उक्त कार्य की ई—निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा प्राप्ति के उपरांत संयुक्त इवेल्युशन तैयार किया गया था जिसमें 70 प्रतिशत तकनीकी योग्यता तथा 30 प्रतिशत वित्तिय राशि के मूल्याकंन का मापदंड रखा गया।

कार्य की तकनीकी निविदा दिनांक 27.09.2017 को खोली गई जिसमें निम्नानुसार दो संवेदकों को (Consultancy) की निविदा प्राप्त हुई है।

1- M/S JAG Designers (P) Ltd., Ahmedabad
2- M/S Bhawana Enterprises, Agra

उपरोक्त दोनों संवेदकों को पत्र दिनांक 10.10.2017 को लिखा जाकर दिनांक 13.10.2017 को Presentation के लिये आमंत्रित कर Presentation लिया गया। तकनीकी बिड विभिन्न मदों एवं Presentation के लिये निर्धारित अंको के आधार पर प्राप्त दोनों

निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिसमें अधिकतम अंक 100 में से मैसर्स M/S JAG Designers (P) Ltd. को 91 अंक तथा मैसर्स M/S Bhawan a Enterprises को 72 अंक प्रदान किये गये।

तत्पश्चात दिनांक 17.10.2016 को वित्तिय निविदा खोली गई जिसमें मैसर्स M/S JAG Designers (P) Ltd. की दरें 15.30 लाख तथा मैसर्स M/S Bhawana Enterprises की दरें 21.00 लाख प्राप्त हुई।

समग्र मूल्यांकन (70 प्रतिशत तकनीकी 30 प्रतिशत वित्तिय) में मैसर्स M/S JAG Designers Ltd. को 93.70 अंक प्राप्त हुए तथा M/S Bhawana Enterprises को 72.2 अंक प्राप्त हुए इस प्रकार मैसर्स M/S JAG Designers(P) Ltd. की दर 15.30 लाख योग्य आई है। जो प्रचलित आधार पर उचित है।

अतः एस.ओ.पी. के बिन्दु संख्या 06 की पालना में कार्यकारी समिति के समक्ष प्रकरण दरें अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार M/S JAG Designers(P) Ltd की दर ब्यूटिफिकेशन कन्सलटेन्सी कार्य के लिए 15.30 लाख रूपये से स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भूखण्ड संख्या 51 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ति जमा कराने के संबंध में। श्री हरिश ढोली पुत्र श्री रमेश चन्द्र

भूखण्ड स. 51 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 15 बाई 30 = 41.81 वर्गमीटर का श्री हरिश ढोली पुत्र श्री रमेश चन्द को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 304 दिनांक 13.01.2016 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 13.01.2016 को जारी किया जा चुका है। जो दिनांक 12.1.2018 को 2 वर्ष पूर्ण हो रहे है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन / बहाल हेतुः—:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन / बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

दिनांक 12.1.2018 को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एवं बहाल किये जाने हेतु 2 वर्ष के अधिक समय का राज्य सरकार को भेजा जाने वास्ते प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उपरोक्त प्रकरण में आवंटन पत्र जारी होने से 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है एवं प्रचलित नियमानुसार शास्ती व ब्याज जमा कराकर भूखण्ड बहाल करने की शक्तियां अब राज्य सरकार में निहित हो चुकी है परन्तु नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश कमांक 15–16/30 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के बिन्दु संख्या –21 के अनुसार ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड/आवास का आवंटन बहाल करने बाबत राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर पर दी गयी है। उक्त आदेश मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के बाबत दिशा निर्देश में सम्मिलित है। उक्त निर्देशों की प्रभाविता राज्य सरकार के पत्र कमांक प. 2 (30) नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 15 जनवरी, 2018 के द्वारा दिनांक 30 जून, 2018 तक बढा दी गयी है। लिहाजा दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हुए प्रकरणों की अधिकारिता कार्यकारी समिति में निहित है। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विज्ञान नगर आवासीय योजना में श्री हरीश पुत्र श्री रमेश चन्द्र को आवंटित भूखण्ड संख्या 51 सेक्टर–सी क्षैत्रफल 41.81 वर्गमीटर को नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल कर बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना का खसरा संख्या 60/1 एवं 243/63 ग्राम आंगणवा में दिनांक 15–11–2017 को निकाली गई लॉटरी की पुष्टि/ अनुमोदन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना का खसरा सं 60/1 एवं 243/63 ग्राम आंगणवा में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त कर योजना में दिनांक 15.11.2017 को लॉटरी का आयोजन किया जाकर भूखण्ड आवंटन किये गये। उक्त योजना में लॉटरी द्वारा विभिन्न वर्ग में विभिन्न क्षेत्रफल के भूखण्डो का आवंटन किया गया। योजना में कुल 201 भूखण्ड है तथा कोर्नर के भूखण्डो को छोड़कर आवंटन किया गया। जिसकी पुष्टि/अनुमोदन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में किया जाने वास्ते प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना खसरा संख्या 60/1 एवं 243/63 ग्राम आंणगवा में दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को निकाली गयी लॉटरी की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवाद (बावडी) खसरा संख्या 286 किस्म गै.मु. औरण रकबा 92.11 में से 7 बीघा भूमि आवंटन हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक द्वितीय) जोधपुर एवं प्रधानाचार्य द्वारा पप्रत्र 'स' एवं परिशिष्ट '1' आवेंदन प्रस्तुत किया गया तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवाद के खसरा संख्या 286 गे. मु. औरण रकबा 92.11 में से विद्यालय हेतु 7 बीघा भूमि का आवंटन करने की मांग की है। मौके पर उक्त भूमि में विद्यालय भवन बना हुआ हैं, तथा चारदीवारी की गई है। उक्त खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है

12/2/18

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम भवाद के खसरा संख्या 286 जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अर्बन ऐरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है। परन्तु जोधपुर रीजन के गांवो में सम्मलित है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवाद के खसरा संख्या 286 गे. मु. औरण रकबा 92.11 बीघा मे से राज्य सरकार के आदेशानुसार 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवाद (बावडी) खसरा संख्या 286 किस्म गैर मुमकिन औरण रकबा 92–11 बीघा भूमि में से 7 बीघा भूमि उक्त विद्यालय को भू–उपयोग परिवर्तन पश्चात् निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे। **इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया जाता है कि प्रभारी अधिकारी** (आवंटन शाखा) राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि मौके पर विद्यालय भवन का निर्माण कितनी भूमि पर हुआ है एवं विद्यालय की चार दीवारी कितने क्षैत्रफल में निर्मित है।

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजकीय माध्यमिक विद्यालय पातों की बासनी जोधपुर जो खसरा 93 गैमु आबादी रकबा 1760 वर्गमीटर विद्यालय भूमि आवंटन हेतु।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय पातो की बासनी जोधपुर जो खसरा 93 गै मु आबादी रकबा 1760 वर्गमीटर विद्यालय भूमि आवंटन हेतु पपत्र 'स' ग्राम सेवक/पदेन सचिव एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं 93 ग्राम पातो की बासनी जोधपुर के पत्रावली में संलग्न जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं ख न 93 के राजस्व मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि का राजकीय माध्यमिक विद्यालय पातो की बासनी के विद्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन किये जाने की मांग अनुसार मौका देखा गया। जमाबंदी नकल अनुसार ख.न. 93 रकबा 4.10 बीघा किस्म गैमु. आबादी वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि पर वर्तमान में विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जिसमें भवन व चारदिवारी निर्मित है। उक्त भूमि का राजकीय माध्यमिक विद्यालय पातो की बासनी हेतु 1760 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है। वर्तमान में निर्मित विद्यालय का नाम किया गया जो कि 1408 वर्ग मीटर भूमि है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान–2031 प्रारूप अनुसार ग्राम बासनी पांता ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। भूमि का भू–उपयोग विद्यालय हेतु अनुज्ञेय नही होना बाताया गया है।

अतः प्रकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार 4000 वर्गमीटर ग्राम बासनी का पांता खसरा 93 तहसील बावड़ी में विद्यालय भवन हेतु आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में विचाराधीन एवं निणयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

12/2/17

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राप्त आवेदन अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय पातों की बासनी जोधपुर को खसरा संख्या 93 गैर ममुकिन आबादी में 1760 वर्ग मीटर नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन पश्चात् प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: राजमाता विजयाराजे सिन्धिया अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कम्यूनिटी हेतु आरक्षित भूमि आवंटन हेतु प्राप्त पत्र पर विचार।

प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना में राजमाता विजयाराजे सिन्धियां अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कम्यूनिटी का निर्माण पीपीपी मोड्यूल पर करवाये जाने का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 को प्रस्ताव सं. 49 के तहत् लिया गया था।

प्राधिकरण द्वारा कन्वेंशन सेन्टर निर्माण हेतु विवक विहार योजना मे 25.50 बीघा भूमि आरक्षित की गई है। प्राधिकरण द्वारा डीपीआर बनवाने हेतु नियुक्त कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार की गई डीपीआर के अनुसार इस प्रोजेक्ट को self sustaible& viable बनाने हेतु विवेक विहार योजना मे आरक्षित hebitant centre की भूमि को भी इस भूमि के साथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार बिडर जो कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण करेगा व hebitant centre का भी निर्माण करेगा। अतः कन्वेंशन सेन्टर की भूमि के साथ hebitant centre की भूमि को करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निदेशक (अभियांत्रिकी) ने अवगत कराया कि प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में राजामाता विजयराजे सिंधिया अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण पी.पी.पी. मोड पर करवाये जाने का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या –49 लिया गया था। नियुक्त कन्सलटेन्ट द्वारा कन्वेंशन सेन्टर निर्माण हेतु विवेक विहार योजना में 25 बीघा भूमि के अतिरिक्त उसी भूमि के निकट हेबिटेट सेन्टर के लिए विवेक विहार योजना में आरक्षित भूमि (13 बीघा) को भी साथ मिलाकर प्रोजेक्ट बनाने के संबंध में प्रस्तावित किया है जिससे कि यह प्रोजेक्ट self sustaible& viable प्रोजेक्ट हो सके। चूंकि दोनों ही भूमियां प्राधिकरण की है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत करते हुए प्रकरण अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: राजमाता विजयाराजे सिन्धिया अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कम्यूनिटी हेतु प्राप्त एकल निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना में राजमाता विजयाराजे सिन्धियां अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कम्यूनिटी का निर्माण पीपीपी मोड्यूल पर करवाये जाने का निर्णय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.11.2017 को प्रस्ताव सं. 49 के तहत् लिया गया था। कार्यकारी समिति के निर्णय की अनुपालना में पीपीपी पद्धति पर आधारित डीपीआर बनवाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गयी। प्राप्त निविदा एकल निविदा प्राप्त हुई जिससे मैसर्स JAG DESIGNERS PVT LTD. अहमदाबाद द्वारा रूपए 6.30 लाख की दर प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण में वर्तमान मे प्रचलित शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) के अनुसार कन्सलटेन्सी सर्विस हेतु रू. 15.00 लाख तक की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी करने का अधिकार आयुक्त महोदय मे निहित है तथा उक्त कार्य हेतु एकल निविदा प्राप्त होने पर अग्रिम उच्च कमेटी के रूप मे स्वीकृति के अधिकार कार्यकारी समिति मे निहित है।

अतः मैसर्स JAG DESIGNERS PVT LTD. अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत एकल निविदा रूपए बिड रूपए 6.30 लाख जिससे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर दिया गया था एवं तदोपरांत कार्यादेश जारी कर दिए थे की पुष्ठी हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृत एवं अनुमोदनार्थ एजेन्डा प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजमाता विजयराजे सिंधिया अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर हेतु प्राप्त एकल निविदा JAG DESIGNERS PVT LTD निविदा राशि रूपये 6.3 लाख रूपये **जो कि आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व में कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में** स्वीकृत कर दी गयी है, की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री राजेन्द्र ढाका भूखण्ड संख्या ए–333 का आवंटन पत्र जारी करने बाबत।

प्रार्थी श्री राजेन्द्र ढाका द्वारा झरणा विहार आवासीय योजना में सैनिक वर्ग में आवेदन किया था। प्रार्थी का लाटरी दिनांक12.08.2016 को सैनिक वर्ग में भुखण्ड संख्या333 (8× 15)वर्ग मीटर का आवंटन हुआ है।

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र में आय 30000रु प्रति माह दर्शाई गई है जबकि आय ग्रुप 15001 से 22000रु तक है। जिसकी अनुसार प्रार्थी को पत्र लिखा गया था प्रार्थी द्वारा कोई पत्र प्रस्तुत नही किया गया जिसके फलस्वरूप तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा आंवटिन भुखण्ड को निरस्त करने का आदेश किया गया है।जिसके फलस्वरूप निरस्त आदेश दिनांक 7.02.2017 को जारी किए गये है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.08.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संलग्न आय प्रमाण पत्र 21990रु का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निरस्त भुखण्ड को बहाल किया जावे है। प्रकरण में विधि शाखा की रिर्पोट लेने पर निर्देशक विधि की रिर्पोट अनुसार आवेदक के दोनों आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति कमाडिंग अफसर को भेज कर सत्यापन करवाया जावे। प्राधिकरण प्रत्रांक से पत्र कमाडिंग अफसर को भिजवाया गया जिसके अनुसार जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 16.11.2017 को प्रार्थी के आय प्रमाण पत्र 21990रु प्रति माह का सत्यापन कर प्रस्तुत किया है।

चुंकि आवंटित भुखण्ड तत्कालीन आयुक्त महोदय के आदेशानुसार निरस्त किया गया एंव प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2017 को सैनिक कल्याण अधिकारी से आय प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया है। अतः निरस्त भुखण्ड को बहाल करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एंव निणर्याथ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री राजेन्द्र ढाका को भूखण्ड संख्या ए–333 का निरस्त किया गया आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया। चूंकि

उक्त प्रकरण में आय प्रमाण–पत्र में विसंगती होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र लॉटरी में सफल होने के बाद भी निरस्त कर दिया गया है एवं पुनः परीक्षण पश्चात् प्रार्थी ने अपने कम्पाण्डिंग ऑफिसर के द्वारा आवेदित आय वर्ग का ही आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया है। लिहाजा उक्त प्रकरण में वर्तमान आरक्षित दर को आधार मानकर तत्कालीन आय वर्ग व श्रेणी अनुसार भूखण्ड आवंटन 333 वर्तमान में रिक्त होने की शर्त पर बहाल किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 14 :: **Agenda Note for Revised Administrative & Financial Sanction along with sanction of tentative Deviation for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of sewerage system & all ancillary works, PVC-U pipes including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in Part area of West zone, Jodhpur.**

Agenda Note for the work under subject has been submitted for concurrence. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 3576.00 Lacs, Job No. 1718/2012-13/JDA/PHE/Non-Scheme, DE letter No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/1738-41 dated 28/02/2013, confirmation in EC meeting dated 19-03-2013 at agenda no. 9(3).
Original TS of the work	Rs. 3565.50 Lacs vide no. DE(PHE)16/13-14 dated 12-08-2013.
Work order Amount	Rs. 3871.35 Lacs
Agreement No.	F38(3)/2013-14/EE ZONE-PHE
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	Rs. 1600.67 Lacs (Approved)
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	Rs. 34.30 Lacs (Approved)
Likely Saving in contract BOQ	Rs. 1484.31 Lacs
Total amount envisaged for completion of work	Rs. 3997.02 Lacs
Revised A & F Amount	Rs. 3997.02 Lacs (Approval of EC required)

Reasons for Extra & Excess Work:

The item wise are available in attached statements of excess and extra. The major reasons in this regard are as below:

1. As per actual strata encountered at site and in accordance to finalized drawing/ design, there had been variation in quantity of earth work. As such quantity of excavation in ordinary soil for depth up to 1.5 meter and hard rock for depth up to 1.5 meter/ 1.5 to 3.0 meter is exceeding. For higher depths there is saving as such there is overall saving.
2. Variation in type of manholes as per final alignment and location at site.
3. Variation in quantity of road dismantling and restoration in accordance to increased habitation and increase in road network.
4. Variation in quantity of soak pits as actually encountered in the alignment of sewer laying.

5. Considering all important work of ROB construction at Riktiya Bheruji, shifting work of existing functional sewer was required. Being typical job of specific nature, it was decided to get it executed through expert team available under this package. As such there had been extra/ excess items related to pipes, barricading etc.

Reasons for Saving in contract BOQ:

1. As per finalized drawing/ design and available ground conditions, there had been corresponding saving in excavation work in soil, ordinary rock and hard rock.
2. There had been saving in manholes of specific depths as per finalized drawing and alignment.
3. There had been saving in item of timbering as not used due to encountered hard strata.
4. Saving has been envisaged in WBM & BT road items.

The total case is submitted for perusal and according approval.

Dicision

As above agenda intem needs proper examination at the level of Director (Engineer) and Director (Finanace) which has not been done. Therefore, matter is defered in want of above scruting. Matter can be putup before the EC after processing as above.

प्रस्ताव संख्या 15 :: भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर सी विवेक विहार योजना के संबंध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में लॉटरी द्वारा श्री कुलदीप मेड़तिया को भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर सी क्षेत्रफल 418.06 वर्गमीटर कार्नर भूखण्ड का आवंटन हुआ है। आवंटी ने भूखण्ड की मूल आवंटन राशि जमा कर पट्टे की मांग की। मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर 165.35 वर्गमीटर अधिक पाया गया। आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार अधिक क्षेत्रफल का पृथक भूखण्ड नही बन सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 के प्रस्ताव संख्या 23 में रखा गया। इसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण 100 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें। उक्त निर्णय में भूखण्ड का क्षेत्रफल का बढा हुआ क्षेत्रफल 165.35 के स्थान पर 102.61 वर्गमीटर अंकित हो गया है।

आवंटी ने बढे हुए क्षेत्रफल को लेने की असहमति जाहिर करते हुए उक्त आवंटित भूखण्ड के स्थान पर समान क्षेत्रफल का समान सड़क पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार श्री कुलदीप मेडतिया को विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर–सी क्षैत्रफल 418.08 चर्गमीटर का आवंटन निरस्त कर उसके बदले में नियमानुसार समान क्षैत्रफल का अन्य भूखण्ड विवेक विहार योजना में आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री सुरजाराम मेघवाल पुत्र श्री हरीराम मेघवाल को आवंटित भूखण्ड संख्या 312 सेक्टर एक विवेक विहार योजना की राशि 90 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड का बहाल करने के संबंध मे।

श्री सुरजाराम मेघवाल को प्राधिकरण की विवेक विहार येाजना में भूखण्ड संख्या 312 सेक्टर एम क्षेत्रफल 139.34 वर्गमीटर आवंटित किया गया। आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड की आवंटन राशि आवंटन पत्र जारी होने के 93 दिवस बाद जमा कराई। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस पश्चात राशि जमा कराने के कारण आवंटन पत्र की शर्त संख्या 03 के अनुसार आवंटन स्वतः निरस्त हो चुका है। प्रार्थी को भूखण्ड का कब्जा दिया जा चुका है एवं प्रार्थी द्वारा लीज डीड की मांग की जा रही हैं। भूखण्ड के प्रति मूल आवंटन राशि जमा हो चुकी है किन्तु विलम्ब से आवंटन राशि जमा कराने के फलस्वरूप बकाया ब्याज एवं शास्ति जमा नही कराई गई है। भूखण्ड का स्वतः निरस्त/बहाल करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री सूरजाराम मेघवाल को भूखण्ड आवंटन पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को जारी हुआ एवं उनके द्वारा 93 दिवस पश्चात् राशि जमा करवायी गयी। चूंकि प्रकरण में आवंटन तिथि से 6 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को इस प्रकरण में स्वतः निरस्तीकरण से 2 वर्ष की अवधि तक ही भूखण्ड बहाल करने का अधिकार प्राप्त है। अतः भूखण्ड को बहाल करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को मय अनुशंषा भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह को आवंटित भूखण्ड संख्या 153 सेक्टर बी विवेक विहार योजना की राशी 90 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के संबंध मे।

भूखण्ड संख्या 153 सेक्टर बी नाप 260.12 वर्ग मीटर विवेक विहार योजना में **श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह** को लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ था। इस कार्यलय द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 329 दिनांक 03.04.2012 को जारी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार 90 दिवस में राशि जमा नही कराने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है। आवंटी ने आवंटन पत्र जारी होने के 212 दिन के बाद दिनांक 17.11.2012 को राशी जमा करायी है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा लीज डीड की मांग की जा रही है। भूमि निस्पादन नियमों के तहत स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल/निरस्त करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री फतेहसिंह को आवंटन पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को जारी हुआ एवं आवंटी को आवंटन–पत्र जारी होने के 212 दिवस पश्चात् राशि जमा करवायी है। प्रकरण में स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अतः भूखण्ड बहाल करने हेतु अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: श्री हाथी सिंह भाटी पुत्र श्री दलपत सिंह भाटी को आवंटित भूखण्ड संख्या 40 सेक्टर जी विवेक विहार योजना की राशी 90 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के संबंध मे।

भूखण्ड संख्या 40 सेक्टर जी नाप 41.08 वर्ग मीटर विवेक विहार योजना में **श्री हाथी सिंह भाटी पुत्र श्री दलपत सिंह भाटी** को लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ था। इस कार्यलय द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 10.04.2012 को जारी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार 90 दिवस में राशि जमा नही कराने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है। आवंटी ने आवंटन पत्र जारी होने के 91 दिन के बाद दिनांक 10.07.2012 को राशी जमा करायी है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा लीज डीड की मांग की जा रही है। संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक 1516–30 दिनांक 15.04.2011 के बिन्दु संख्या 21 के अनुसार 60 वर्गमीटर क्षेत्रफल से कम के आवासों के नियमितिकरण शक्तियां निकायो को प्रदान की है। भूमि निस्पादन नियमों के तहत स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल/निरस्त करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उपरोक्त प्रकरण में आवंटन पत्र जारी होने से 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है एवं प्रचलित नियमानुसार शास्ती व ब्याज जमा कराकर भूखण्ड बहाल करने की शक्तियां अब राज्य सरकार में निहित हो चुकी है परन्तु नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 15–16/30 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के बिन्दु संख्या –21 के अनुसार ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/ 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड/आवास का आवंटन बहाल करने बाबत राज्य सरकार की शक्तियां निकाय स्तर पर दी गयी है। उक्त आदेश मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के बाबत दिशा निर्देश में सम्मिलित है। उक्त निर्देशों की प्रभाविता राज्य सरकार के पत्र कमांक प. 2 (30) नविवि/3/2016 पार्ट दिनांक 15 जनवरी, 2018 के द्वारा दिनांक 30 जून, 2018 तक बढा दी गयी है। लिहाजा प्रकरण को नियमित करने की अधिकारिता कार्यकारी समिति में निहित है। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विवेक विहार योजना के भूखण्ड संख्या 40 सेक्टर जी को नियमानुसार ब्याज द शास्ति वसूल कर बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: श्रीमती संगीता देवी पत्नि श्री अरूण कुमार को आवंटित भूखण्ड संख्या 75 सेक्टर के विवेक विहार योजना की राशी 90 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के संबंध मे।

भूखण्ड संख्या 75 सेक्टर के नाप 139.34 वर्ग मीटर विवेक विहार योजना में **श्रीमती संगीता देवी पत्नि श्री अरूण कुमार** को लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ था। इस कार्यलय द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 10.04.2012 को जारी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार 90 दिवस में राशि जमा नही कराने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है। आवंटी ने आवंटन पत्र जारी होने के 492 दिन के बाद दिनांक 14.08.2013 को राशी जमा करायी है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रार्थीया द्वारा लीज डीड की मांग की जा रही है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 के प्रस्ताव सख्या 24 के निर्णयानुसार प्रकरण में ब्याज एवं शास्ति लेकर भूखण्ड नियमित करने का निर्णय लिया गया। किन्तु उक्त प्ररकण में आवंटन पत्र जारी होने से 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड के नियमितीकरण की शक्तियां राज्य सरकार में निहित

होने के कारण प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति के ध्यान में लाया जाकर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रीमती संगीता देवी पत्नि श्री अरूण कुमार को दिनांक 10 अप्रैल, 2012 को भूखण्ड आवंटन हुआ था। जिसके 492 दिवस पश्चात् दिनांक 14 अगस्त, 2013 को राशि जमा करवा दी गयी थी। वर्तमान में स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से प्रकरण में दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। लिहाजा भूखण्ड बहाल करने हेतु प्रकरण अनुशंषा सहित राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: श्रीमती राजरानी पत्नि श्री सुशील कुमार को आवंटित भूखण्ड संख्या 72 सेक्टर ए पूर्वी पाल योजना के स्थान पर राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 72 सेक्टर ए क्षेत्रफल 43.85 वर्गमीटर श्रीमती राजरानी पत्नि श्री सुशील कुमार को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या 72 सेक्टर ए खसरा नं. 740/996 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरा संख्या 740/996 रकबा 14.15 बीघा में से 10.02 बीघा प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के विरूद्ध वाद दायर किये गये। अन्ततः वाद संख्या एस.एल.पी 14156/2008 बनाम शौकत खां में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.01.2017 द्वारा उक्त खसरे के कुल रकबे 14.15 बीघा में से 10. 02 बीघा के संबंध में निर्णय प्राधिकरण के विपरित रहा है। उक्त खसरे में आवंटित भूखण्डों को भूखण्ड देने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। आवंटी श्रीमती राजरानी ने पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर बोम्बे योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रीमती राजरानी पत्नि श्री सुशील कुमार को भूखण्ड संख्या 72 सेक्टर–ए पूर्वी पाल रोड योजना में 93.85 वर्ग मीटर का आवंटन हुआ था। चूंकि उक्त योजना के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8 जनवरी, 2017 के द्वारा योजना के खसरे की भूमि के संबंध में प्राधिकरण के विरूद्ध निर्णय पारित हुआ है। लिहाजा श्रीमती राजरानी पत्नि श्री सुशील कुमार को उक्त भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका। अतः प्रार्थीया से अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु सहमति प्राप्त की जावे और सहमति प्राप्त होने पर नियमानुसार अरणा विहार योजना में समान क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन किया जावे क्योंकि मांग अनुसार वाम्बे योजना में भूखण्ड उपलब्ध नहीं है वरन् आवास है।

प्रस्ताव संख्या 21 :: श्री गोपाल भट्ट पुत्र श्री के.बी. भट्ट को आवंटित भूखण्ड संख्या 291 सेक्टर जी पूर्वी पाल योजना के स्थान पर राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 291 सेक्टर जी क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर **श्री गोपाल भट्ट पुत्र श्री के.बी. भट्ट** को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या 291 सेक्टर जी खसरा नं. 740/1011/740/1012 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरो में मान्नीय उच्च न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण आंवटि द्वारा राजीव नगर योजना में समान आकार के

भूखण्ड आंवटन करने की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री गोपाल भट्ट को पूर्वीपाल रोड योजना में भूखण्ड संख्या 291 सेक्टर–जी क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर आवंटित हुआ था। उक्त योजना की भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राधिकरण के विपरित होने से प्रार्थी से समान क्षैत्रफल का भूखण्ड मांग अनुसार राजीव गांधी नगर अथवा अरणा विहार योजना में आवंटन हेतु सहमति प्राप्त की जावे एवं सहमति प्राप्त होने पर तद्नुसार भूखण्ड आवंटन कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: श्री महेन्द्र पटवा को आवंटित भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर आई पूर्वी पाल योजना के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर आई क्षेत्रफल 199.05 वर्गमीटर **श्री महेन्द्र पटवा** को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर आई खसरा नं. 740/1011 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरो में माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर में प्रीतम सिंह / स्टेट लम्बित होने के कारण आवंटि द्वारा रामराज नगर योजना में समान आकार के भूखण्ड आंवटन करने की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री महेन्द्र पटवा को पूर्वीपाल रोड योजना में भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर– आई आवंटित हुआ था। उक्त योजना की भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राधिकरण के विपरित होने से प्रार्थी से समान क्षैत्रफल का भूखण्ड मांग अनुसार रामराज नगर योजना में आवंटन हेतु सहमति प्राप्त की जावे एवं सहमति प्राप्त होने पर तद्नुसार भूखण्ड आवंटन कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: श्री ब्रह्मदत्त शर्मा को आंवटित भूखण्ड सख्या 10 सेक्टर डी पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।

श्री ब्रह्मदत्त शर्मा को प्राधिकरण की पूर्वी पाल रोड योजना में भूखण्ड संख्या 10 सेक्टर डी क्षेत्रफल 248.85 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। उक्त खसरे के संबंध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 14925/2016 द्वारा वाद दायर किया। प्रार्थी को उक्त भूखण्ड के स्थान पर समान आकार का भूखण्ड राजीव गांधी नगर योजना में देने हेतु सहमति प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक 299 दिनांक 13.11.2017 द्वारा प्राधिकरण की अरणा विहार योजना, झरणा विहार योजना एवं मण्डलनाथ योजना में स्थित किसी योजना में परिवर्तित भूखण्ड देने का प्रस्ताव दिया गया। प्रार्थी ने उक्त योजनाओं में भूखण्ड लेना स्वीकार नही कर पूर्वी पाल रोड योजना सेंक्टर सी, मामा अचलेश्वर नगर, विजयराजे नगर अथवा विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन की मांग की है। प्रार्थी ने अपने एक अन्य पत्र द्वारा बराबर कीमत का भूखण्ड ऐसी योजना में दिलाने का निवेदन किया जिसमें सड़क, पानी, सिविर लाईन, बिजली की लाईन उपलब्ध हो तथा भवन निर्माण किये जाने की स्थिति हो। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया कि श्री ब्रह्मदत्त शर्मा को भूखण्ड संख्या 10 सेक्टर डी क्षैत्रफल 248.85 वर्ग मीटर का पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटन किया गया था। पूर्वी पाल रोड योजना की भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध निर्णय पारित के विरूद्ध हुआ है। प्रार्थी श्री ब्रहमदत्त शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14925/2016 वाद दायर किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, जोधपुर की संयुक्त परिवेदना समिति के समक्ष भिजवाने के सुनवाई के दौरान निर्देश दिये। प्रकरण में संयुक्त परिवेदना समिति ने वादी का प्रकरण विधि सम्मत् मानकर श्री ब्रह्मदत्त शर्मा को भूखण्ड संख्या 10 क्षैत्रफल 248.85 वर्ग मीटर पूर्वीपाल रोड योजना के स्थान पर प्राधिकरण की अन्य योजना में समान क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया है जिसके कम में प्रकरण पर विचार विमर्श कर प्रार्थी श्री ब्रहमदत्त शर्मा को समान क्षेत्रफल का भूखण्ड प्राधिकरण की रामराज नगर योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्री डॉ. रमेशचन्द्र बी. माथुर को आवंटित भूखण्ड सख्या 25 सेक्टर ए पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत्।

श्री डॉ. रमेशचंन्द्र बी. माथुर को प्राधिकरण की पूर्वी पाल रोड योजना में भूखण्ड सख्या 25 सेक्टर ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटन कर लाईसेन्स जारी किया गया। उक्त भूखण्ड ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 740/996 में स्थित है। खसरा नं. 740/996 रकबा 14.15 बीघा भूमि में से 10.03 बीघा भूमि के संबंध में न्यायालय वाद प्राधिकरण के विपरित हुआ है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड के स्थान पर राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन का समान आकार का भूखण्ड आवंटित करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री डॉ. रमेशचन्द्र बी. माथुर को पूर्वीपाल रोड योजना में भूखण्ड संख्या 25 सेक्टर– ए आवंटित हुआ था। उक्त योजना की भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राधिकरण के विपरित होने से प्रार्थी से समान क्षैत्रफल का भूखण्ड मांग अनुसार अरणा विहार योजना में आवंटन हेतु सहमति प्राप्त की जावे एवं सहमति प्राप्त होने पर तदनुसार भूखण्ड आवंटन कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: श्री रामेश्वरलाल चौहान को आवंटित भूखण्ड सख्या 282 सेक्टर जी पूर्वी पाल रोड योजना के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।

श्री रामेश्वरलाल चौहार को प्राधिकरण की पूर्वी पाल रोड योजना में भूखण्ड संख्या 282 सेक्टर जी क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर आवंटन कर लाईसेन्स जारी किया गया। प्रार्थी का भूखण्ड ग्राम जोधपुर के खसरा नं. 740/1012 में स्थित है। उक्त खसरे में माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है। आवंटी ने उक्त भूखण्ड के स्थान पर अन्य विकसित कॉलोनी जैसेः–अरणा विहार, झरणा विहार, विवेक विहार योजना में उक्त भूखण्ड के बदले भूखण्ड आवंटन की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री रामेश्वर लाल चौहान को पूर्वीपाल रोड योजना में भूखण्ड संख्या 282 सेक्टर जी आवंटित हुआ था। उक्त योजना की भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राधिकरण के विपरित होने से प्रार्थी से समान क्षैत्रफल का भूखण्ड राजीव गांधी नगर अथवा अरणा विहार योजना में आवंटन हेतु सहमति प्राप्त की जावे एवं सहमति प्राप्त होने पर तद्नुसार भूखण्ड आवंटन कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

प्रस्ताव संख्या 26 :: जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडकों पर डब्ल्यूबीएम एवं डामरीकरण कार्य हेतु राशि रूपये 1485 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने पर विचार।

जोधपुर विकास प्राधिकरण मे विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु गठित पब्लिक वर्क्स कमेटी (PWC) की बैठक दिनांक 29.11.2017 मे जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम एवं डामरीकरण का कार्य हेतु क्रम सं. 34 पर उक्त कार्य की 1485.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु अनुशंषा की गई है।

पीडब्ल्यूसी द्वारा जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की शर्त सं. 4 के अनुसार उक्त कार्य की राशि 5 करोड से अधिक है अतः स्वीकृति हेतु एजेन्डा तैयार कर कार्यकारी समिति मे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। चूंकि जोधपुर विकास प्राधिकरण की शक्तियों की अनुसुची के बिन्दु सं. 1 के प्रावधान अनुसार 5 करोड से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी करने का अधिकार कार्यकारी समिति मे निहित है अतः उक्त कार्य की राशि 1485.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोन (दक्षिण) के क्षैत्राधिकार में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडक पर डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण कार्य हेतु राशि रूपये 14.85 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पब्लिक वर्क कमेटी द्वारा की गयी अनुशंषा के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कार्य के संबंध में कार्यादेश प्राधिकरण में पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर ही जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 :: बासनी कृषि मण्डी तिराहे से रामेश्वरनगर चौराहे तक सडक सुदृढीकरण कार्य पर किये गये अधिक आईटम (excess Item) की कार्योत्तर स्वीकृति राशि रूं 171622/-

अधिशाषी अभियंता जोन दक्षिण के अनुबंध संख्या एफ 38 (09) 2017-18 बासनी कृषि मंडी तिराहे से रामेश्वर नगर चौराहे तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य में जी अनुसुची के आईटम Providing and fixing Machine pressed cement concerete (M-20) compressed with hydraulic compression machine kerbs or dands of size upto 60 cm. Length as per drawing, jointing with cement mortar (1:3) over 20mm thick base cement mortar (1:6) & painting the exposed surface with enamel paint of approved brand complete work as per

direction of Engineer-in-charge size 15 cm x 38cm की मात्रा 50 प्रतिशत तक अधिक होने से एस.ओ.पी. के आईटम संख्या 27 के अनुसरण में 30 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक होने पर कार्यकारी समिति स्वीकृति हेतु सक्षम है। कार्य की अतिरिक्त लागत 1,71,622/– होगी।

उक्त अधिक आईटम जी अनुसूची मे पुराने विधमान टूटे हुए डिवाईडरो को हटाकर नये डिवाईड लगाने हेतु लिए गए थे। जो पूर्व मे लगे थे उसी जगह अनुसार लिए गए थे। चूंकी पाली रोड से घुसते ही उक्त सडक पर ट्राफिक अधिक मात्रा मे रहता है क्योकि उक्त सडक की एप्रोच आगे सरस्वती नगर, रामेश्वर नगर, बासनी कृषि मंडी, बासनी रेल्वे स्टेशन को जाती है जिससे सडक पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है और उक्त स्थान पर अभी डिवाईडर नही लगे हुए है जिन्हे इसी कार्य के साथ लगाए जाने है ताकि सडक निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके।

उक्त कार्य में नये डिवाईडर लगाये जाने की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए उक्त आईटम की मुल मात्रा 1600(2 x 800) मीटर से 2400(2 x 1200) मीटर होने से उक्त आईटम की स्वीकृति कार्यकारी समिति में ली जानी आवश्यक है। अतः कार्यकारी समिति में उक्त प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्ताव अनुसार एक्सस आईटम जिसकी मात्रा मूल मात्रा से 50 प्रतिशत अधिक होने से प्राधिकरण में प्रचलित शिड्यूल ऑफ पावर के बिन्दु संख्या 27 के अनुसार 50 प्रतिशत तक आधिक्य की स्वीकृति प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है। अतः बाद विचार विमर्श एवं औचित्य को देखते हुए कुल राशि रूपये 171,622/– की स्वीकृति देने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 28 :: जोन दक्षिण के क्षेत्राधिकार में सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्युबीएम एवं डामरीकरण के कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कमांक 4868 दिनांक 02.02.2018 राशि रू. 1485.00 लाख को लोट सं. 1 से 4 में स्पीलिट (Split) करने की कार्योतर स्वीकृति हेतु

जोधपुर विकास प्राधिकरण मे विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु गठित पब्लिक वर्क्स कमेटी (PWC) की बैठक दिनांक 29.11.2017 मे जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम एवं डामरीकरण का कार्य हेतु कम सं. 34 पर उक्त कार्य की 1485 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति आयुंक्त महोदय से अनुमोदन पश्चात जारी की जायेगी। जिसकी अनुपालना मे पत्रावली के पेरा सं. 60 मे जेडीसी महोदय द्वारा कार्यकारी समिति मे स्वीकृति की प्रत्याशा मे प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्रदान कि गई है।

पत्रावली के पेरा सं. 67 एन से 76 एन मे उक्त प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति को कॉलोनी एवं पैकेज वाईज स्पिलिट करने की स्वीकृति,कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा मे जेडीसी महोदय द्वारा प्रदान की गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की शक्तियो की अनुसूची के कम सं. 3 के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति को स्पिलिट करने की पूर्ण शक्तियां अधिशाषी अभियंता को कार्य की बिना स्पिलिट किए मूल स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी की सहमति से प्रदान की गई है। उक्त कार्य 1485 लाख का होने के कारण उक्त शक्तियां कार्यकारी समिति मे निहित है। अतः उक्त प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति को निम्नानुसार स्पिलिट करने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

क.स	कार्य का नाम	राशि
1.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट प्रथम)	331.00 लाख
2.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट द्वितीय)	497.00 लाख
3.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट तृतीय)	330.50 लाख
4.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट चतुर्थ)।	326.50 लाख
	कुल	1485.00 लाख

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार प्रस्ताव संख्या 26 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न अनुसार Split करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क.स	कार्य का नाम	राशि
1.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट प्रथम)	331.00 लाख
2.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट द्वितीय)	497.00 लाख
3.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट तृतीय)	330.50 लाख
4.	जोन दक्षिण के क्षैत्राधिकार मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डब्ल्यूबीएम व डामरीकरण का कार्य।(लोट चतुर्थ)।	326.50 लाख
	कुल	1485.00 लाख

उक्त कार्य के संबंध में कार्यादेश जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि प्राधिकरण में राशि की उपलब्धता तद्नुरूप हो।

प्रस्ताव संख्या 29 :: भूखण्ड संख्या 522 सेक्टर–'सी' अरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.03.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 522 सेक्टर–'सी' मीन्टू कुमारी पुत्री श्री अनुप सिंह को आवंटन किया गया था । भूखण्ड का आवंटन पत्र मीन्टू कुमारी पुत्री श्री अनुप सिंह को क्रमांक 242 दिनांक 05.04.2016 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी मीन्टू कुमारी पुत्री श्री अनुप सिंह द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, प्रार्थीनी द्वारा राशि आवंटन पत्र जारी होने के दो वर्ष पश्चात् जमा कराने की मांग की गई है । 90 दिवस पश्चात् प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है, प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की राशि जमा कराने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार एक वर्ष पश्चात् कार्यकारी समिति की स्वीकृति के पश्चात् राशि 15 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा की जा कर नियमितीकरण किया जा सकता है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 522 सेक्टर सी अरणा विहार योजना की लॉटरी दिनांक 12 मार्च, 2016 द्वारा मीन्टू कुमारी पुत्री श्री अनुप सिंह को आवंटन किया गया था जिसकी राशि प्रार्थीया द्वारा जमा नहीं करवायी गयी और अब राशि जमा कराने की मांग की है। राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 की धारा 17 (5) के अनुसार भूखण्ड निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक कार्यकारी समिति को भूखण्ड बहाल करने का अधिकार प्राप्त है। अतः नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए भूखण्ड को बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 30 :: भूखण्ड संख्या 346 सेक्टर–'ए' झरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.08.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 346 सेक्टर–'ए' श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह को आवंटन किया गया था । भूखण्ड का आवंटन पत्र श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह को क्रमांक 287 दिनांक 05.09.2016 के द्वारा जारी किया गया । जो प्रार्थी को 19.09.2016 को प्राप्त हो चुका है । आवंटी श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, प्रार्थीनी द्वारा राशि आवंटन पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात् जमा कराने की मांग की गई है। 90 दिवस पश्चात् प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है, प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की राशि जमा कराने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार एक वर्ष पश्चात् कार्यकारी समिति की स्वीकृति के पश्चात् राशि ब्याज व शास्ती सहित जमा की जा सकती है । प्रकरण कार्यकारी समिति के निर्णय के पश्चात् बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा की जानी है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12 अगस्त, 2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 346 सेक्टर – ए श्री तेजसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह को आवंटित किया गया था जिसकी अब राशि जमा कराने की मांग की है। चूंकि प्रकरण में भूखण्ड निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर का है लिहाजा नियमानुसार ब्याज व शास्ती वसूल करते हुए भूखण्ड को बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 31 :: भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर–'ए' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री संदीप माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर–'ए' क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा दी गई है । प्रार्थी ने लीजडीड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट मंगाई गई । जिसमें उल्लेख किया गया है कि राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–'ए' में मुटाम नहीं लगे हुए है, तथा प्रार्थी को आवंटित

भूखण्ड पहाडी पर है और भूखण्ड पर पहुचने के लिए किसी प्रकार का मार्गाधिकार नहीं है । इस कारण प्रार्थी को इसी इसी योजना में समान आकार का भूखण्ड देने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी । कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सेक्टर–'ए' में 322 सडक 12 मीटर क्षैत्रफल 275 वगीटर व सेक्टर–'बी' में 288 सडक 12 मीटर क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर व सेक्टर–'ई' में 395 से 408 तक सडक 12 मीटर क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के भूखण्ड प्रस्तावित किए गये है ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री संदीप माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी को दिनांक 15 फरवरी, 2010 को लॉटरी द्वारा राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर ए क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। जिसकी राशि जमा की जा चुकी है किन्तु प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पहाडी का है और भूखण्ड पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का मार्गाधिकार उपलबध नहीं है। लिहाजा प्रार्थी श्री संदीप माहेश्वरी को भूखण्ड संख्या 322 सेक्टर – ए क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर राजीव गांधी नगर योजना प्रार्थी को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 205 सेक्टर ए क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर के स्थान पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 32 :: भूखण्ड संख्या 307 सेक्टर–'ए' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री मनीष माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 307 सेक्टर–'ए' क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा दी गई है । प्रार्थी ने लीजडीड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट मंगाई गई । जिसमें उल्लेख किया गया है कि राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–'ए' में मुटाम नहीं लगे हुए है, तथा प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पहाडी पर है और भूखण्ड पर पहुचने के लिए किसी प्रकार का मार्गाधिकार नहीं है । इस कारण प्रार्थी को इसी इसी योजना में समान आकार का भूखण्ड देने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी । कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सेक्टर–'ई' में 137 से 144 सडक 18 मीटर क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर के भूखण्ड प्रस्तावित किए गये है ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री मनीष माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी को दिनांक 15 फरवरी, 2010 को लॉटरी द्वारा राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में भूखण्ड संख्या 307 सेक्टर ए क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। जिसकी राशि जमा की जा चुकी है किन्तु प्राप्त अनुसार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पहाडी का है और भूखण्ड पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का मार्गाधिकार उपलबध नहीं है। लिहाजा प्रार्थी श्री मनीष माहेश्वरी को भूखण्ड संख्या 377 सेक्टर – ई क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर राजीव गांधी नगर योजना प्रार्थी को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 307 सेक्टर ए क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर के स्थान पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 33 :: भूखण्ड संख्या 22 ग्राम चौखा, खसरा नं. 753, प्राधिकरण योजना की अधिक क्षेत्रफल की राशि जमा करवाकर लीजडीड जारी करने के संबंध में।

प्रार्थी श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री देवीचन्द शर्मा को लॉटरी दिनांक 05.03.1983 के द्वारा भूखण्ड संख्या 198 सेक्टर बी कबीर नगर योजना में क्षेत्रफल 167,22 वर्गमीटर का आवंटित किया गया। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा कर लाईसेन्स व साईट प्लॉन प्राप्त कर लिया गया था। भूखण्ड के मूल आवंटी श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री देवीचन्द का स्वर्गवास दिनांक 04.10.1999 के हो जाने फलस्वरूप न्यास के कार्यालय आदेश क्रमांक :– एफ48/आर. एल. 4/2000/652 दिनाक 18.04.2000 के द्वारा भूखण्ड उनकी पत्नी श्रीमति कमला शर्मा व पुत्र श्री श्यामसुन्दर के नाम संयुक्त रूप से नामान्तरण कर दिया ।

न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 03.07.2008 के प्रस्ताव संख्या 5 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थीनी को आवंटित भूखण्ड संख्या 198 सेक्टर बी कबीर नगर योजना के बदले अन्य न्यास योजना में समकक्ष समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय की पालना ने न्यास के कार्यालय आदेश क्रमांक 98 दिनांक 26. 08.2008 के जरिये प्रार्थीनी को भूखण्ड संख्या 22, ग्राम चौखा के खसरा संख्या 753 योजना में 266.66 वर्गगज का भूखण्ड आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज है जबकि पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गगज है।

तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा अधिक क्षेत्रफल (55.74 वर्गमीटर) की राशि आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल कर लीज–डीड जारी करने का आदेश जारी किया गया। चूंकि भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 के अन्तर्गत भी अधिक भूमि की राशि वर्तमान आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल किये जाने का नियम है। प्रकरण में अधिक क्षैत्रफल की राशि जमा कराने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा गया कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05 अगस्त 2016 के प्रस्ताव संख्या 40 में निर्णय लिया गया कि संबधित जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें । चूंकि मूल आवंटी को वर्ष 1983 में आवंटन हुआ है । वर्ष 1983 से लेकर आज दिनांक तक क्या यह प्रकरण कभी नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की किसी बैठक में प्रस्तुत हुआ अथवा नही ? यदि प्रस्तुत हुआ तो उसमें क्या निर्णय हुआ, की सूचना के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें ।

उपरोक्त अनुसार प्रथम बार प्रकरण न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 03.07. 2008 के प्रस्ताव संख्या 05 एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05 अगस्त 2016 के प्रस्ताव संख्या 40 में निर्णयार्थ रखा गया था ।

प्रकरण में क्षैत्र के कनिष्ठ अभियन्ता से भूखण्ड संख्या 22 ग्रम चौखा खसरा नं. 753, की क्षैत्र के कनिष्ठ अभियन्ता से वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 19 से 25 ग्राम चौखा खसरा नं. 753 पर संयुक्त रूप दीवार बनी है । मौके पर इण्डिया ग्रीन मैरिज गार्डन की चार दीवारी निर्मित है । भूखण्ड जोधपुर–जैसलमेर बाईपास सडक के पास स्थित है । भूखण्ड संख्या 22 ग्राम चौखा खसरा नं. 753 रिक्त गार्डन क्षैत्र में स्थित है । भूखण्ड के अतिरिक्त क्षैत्रफल की राशि योजना क्षैत्र की वर्तमान आरक्षित दर की दुगुनी दर से राशि जमा की कराई जा सकती है ।

अतः प्रकरण भूखण्ड के अधिक क्षैत्रफल की राशि जमा करवाने वास्ते विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पूर्व में कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 5 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रस्ताव संख्या 40 द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थी श्री दीनदयाल शर्मा को मूल आवंटन दिनांक 5 मार्च, 1983 को भूखण्ड संख्या 198 सेक्टर – बी कबीर नगर में क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर का आवंटन हुआ। उसके बाद श्री दीनदयाल शर्मा की मृत्यु होने के पश्चात् न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2008 के प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार न्यास की अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसकी पालना में न्यास के कार्यालय आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2008 के जरिये प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 22 ग्राम चौखा के खसरा संख्या 753 में 266.66 वर्ग गज का आवंटित किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 19 से 25 ग्राम चौखा खसरा संख्या 753 पर संयुक्त रूप से दीवार बनी हुई है और मौके पर इण्डिया ग्रीन की 4 दीवारी निर्मित है जिसके भीतर भूखण्ड संख्या 22 भी आता है। पत्रावली का निरीक्षण करने पर समिति द्वारा पाया गया कि प्रार्थी श्री दीनदयाल शर्मा की आवंटन की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है। श्री दीनदयाल शर्मा की पत्नि की ओर से समस्त कार्यवाही एक आममुख्त्यार द्वारा की जा रही है जो भी संदेह का कारण है क्योंकि मौके पर अन्य प्रकार का नाप पाया गया है। इस नाम का स्वामीत्व किसके पास है? वह विधिक है अथवा नहीं? इसकी जांच भी अपूर्ण है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि उपायुक्त (पश्चिम) अपनी देखरेख में तहसीलदार (पश्चिम) से उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विस्तृत रिपोर्ट करवाकर अपने विनिश्चय के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 34 :: भूखण्ड संख्या 23 ग्राम चौखा, खसरा नं. 753, प्राधिकरण योजना की अधिक क्षेत्रफल की राशि जमा करवाकर लीजडीड जारी करने के संबंध में।

प्रार्थीनी श्रीमती नीना ओदिच्य पत्नी श्री जनार्दन ओदिच्य को लॉटरी दिनांक 05.03.1983 के द्वारा भूखण्ड संख्या 176 सेक्टर बी कबीर नगर योजना में 167.22 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा कर लाईसेन्स व साईट प्लॉन प्राप्त कर लिया गया था लेकिन भूखण्ड पर किसी और व्यक्ति का कब्जा होने के कारण आवंटित भूखण्ड संख्या 176 सेक्टर–'बी' कबीर नगर का भौतिक कब्जा प्रार्थीनी को सुपुर्द नहीं किया जा सका। प्रार्थीनी श्रीमती नीना ओदिच्य ने उक्त भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड देने बाबत् न्यास में अपना अभ्यावेदन दिया। इस पर न्यास ने प्रकरण आवंटन समिति में रखा।

न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 03.07.2008 के प्रस्ताव संख्या 7 में लिये गये निर्णय लिया गया कि प्रार्थीनी को आवंटित भूखण्ड संख्या 176 सेक्टर बी कबीर नगर योजना नाप 167.22 वर्गमीटर के बदले अन्य न्यास योजना में समकक्ष समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन किया जावें गया। इस निर्णय की पालना ने न्यास के कार्यालय आदेश क्रमांक 94 दिनांक 26.08.2008 के द्वारा प्रार्थीनी श्रीमति नीना औदिच्च पत्नी श्री जर्नादन औदिच्च को भूखण्ड संख्या 23, ग्राम चौखा के खसरा संख्या 753 योजना में नाप 266.66 वर्गगज का भूखण्ड आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 222.96 वर्गमीटर है जबकि पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल 166.22 वर्गमीटर है।

तत्कालीन सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा अधिक क्षेत्रफल (55.38 वर्गमीटर) की राशि आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल कर लीज–डीड जारी करने का आदेश जारी

किया गया। चूंकि भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 के अन्तर्गत भी अधिक भूमि की राशि वर्तमान आरक्षित दर से दुगुनी दर से वसूल किये जाने का नियम है।

प्रकरण में अधिक क्षैत्रफल की राशि जमा कराने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा गया कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05 अगस्त 2016 के प्रस्ताव संख्या 41 में निर्णय लिया गया कि संबधित जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें । चूंकि मूल आवंटी को वर्ष 1983 में आवंटन हुआ है । वर्ष 1983 से लेकर आज दिनांक तक क्या यह प्रकरण कभी नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की किसी बैठक में प्रस्तुत हुआ अथवा नही ? यदि प्रस्तुत हुआ तो उसमें क्या निर्णय हुआ, की सूचना के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें ।

उपरोक्त अनुसार प्रथम बार प्रकरण न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 03.07. 2008 के प्रस्ताव संख्या 07 एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05 अगस्त 2016 के प्रस्ताव संख्या 41 में निर्णयार्थ रखा गया था ।

प्रकरण में क्षैत्र के कनिष्ठ अभियन्ता से भूखण्ड संख्या 23 ग्रम चौखा खसरा नं. 753, की क्षैत्र के कनिष्ठ अभियन्ता से वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 19 से 25 ग्राम चौखा खसरा नं. 753 पर संयुक्त रूप दीवार बनी है । मौके पर इण्डिया ग्रीन मैरिज गार्डन की चार दीवारी निर्मित है । भूखण्ड जोधपुर–जैसलमेर बाईपास सडक के पास स्थित है । भूखण्ड संख्या 23 ग्राम चौखा खसरा नं. 753 रिक्त गार्डन क्षैत्र में स्थित है । भूखण्ड के अतिरिक्त क्षैत्रफल की राशि योजना क्षैत्र की वर्तमान आरक्षित दर की दुगुनी दर से राशि जमा की कराई जा सकती है ।

अतः प्रकरण भूखण्ड के अधिक क्षैत्रफल की राशि जमा करवाने वास्ते विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पूर्व में कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 5 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रस्ताव संख्या 41 द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें। प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थीया श्रीमती नीना औदिच्य पत्नि श्री जनार्दन औदिच्य को मूल आवंटन दिनांक 5 मार्च, 1983 को भूखण्ड संख्या 176 सेक्टर –बी, कबीर नगर में क्षैत्रफल 167.22 वर्ग मीटर का आवंटन हुआ। न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2008 के प्रस्ताव संख्या 7 के अनुसार न्यास की अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसकी पालना में न्यास के कार्यालय आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2008 के जरिये प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 23 ग्राम चौखा के खसरा संख्या 753 में 266.66 वर्ग गज का आवंटित किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 19 से 25 ग्राम चौखा खसरा संख्या 753 पर संयुक्त रूप से दीवार बनी हुई है और मौके पर इण्डिया ग्रीन की 4 दीवारी निर्मित है जिसके भीतर भूखण्ड संख्या 23 भी आता है। पत्रावली का निरीक्षण करने पर समिति द्वारा पाया गया कि प्रार्थीया की आवंटन की मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया श्रीमती नीना औदित्य की ओर से समस्त कार्यवाही एक आममुख्त्यार द्वारा की जा रही है जो भी संदेह का कारण है क्योंकि मौके पर अन्य प्रकार का नाम पाया गया है। इस नाम का स्वामीत्व किसके पास है? वह विधिक है अथवा नहीं? इसकी जांच भी अपूर्ण है। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि उपायुक्त (पश्चिम) अपनी देखरेख में तहसीलदार (पश्चिम) से उपरोक्त समस्त

तथ्यों पर विस्तृत रिपोर्ट करवाकर अपने विनिश्चय के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 35 :: अमृत योजना (ग्रीन स्पेस) कार्यक्रम के तहत उम्मेद उधान में विकास कार्य की लागत जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन करने एवं इस परियोजना की डीपीआर कन्स्ल्टेन्ट द्वारा बनवाये जाने की स्वीकृति बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव कला व संस्कृति राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 2.8.2017 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उम्मेद उद्यान में ग्रीन स्पेस के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सलाहकार श्री सिद्वार्थ दास से करवाया जाये। इसी संबंध में जिलाधीश महोदय जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2017 को हुई बैठक में आयुक्त नगर निगम ने बताया की निगम स्तर पर सलाहकार नियुक्त कर पूर्व में परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी एवं निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। किन्तु तकनिकी कारणों से राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा निरस्त की गई थी। समीक्षा उपरान्त उक्त कार्य हेतु श्री सिद्वार्थ दास को सलाहकार नियुक्त करने एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के क्रम में एवं रूडसिको द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार उम्मेद उद्यान में विकास कार्यो के लिये नगर निगम जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 18287 दिनांक 01.12.2017 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी बनाने के संबंध में सूचित किया गया हैं।

उक्त निर्णय की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण ने सलाहकार श्री सिद्वार्थ दास से सम्पर्क कर कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये। श्री सिद्वार्थ दास ने अपने प्रस्ताव में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत दर से शुल्क की मांग की हैं। इसके अतिरिक्त कार्य सुपरविजन व समय-समय पर मौका निरीक्षण हेतु कुल निर्माण लागत के 2.50 प्रतिशत की दर से शुल्क की मांग की हैं। इस प्रकार कार्य के विरूद्व सलाहकार द्वारा कुल लागत के 7.50 प्रतिशत की दर से शुल्क चाहा गया था।

सलाहकार द्वारा मांग की गई शुल्क की राशि अत्यधिक होनें के कारण श्री दास को प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 4690 दिनांक 27.12.2017 द्वारा सूचित किया गया की प्राधिकरण में प्रचलित एसओपी अनुसार कन्स्लटेन्सी कार्य हेतु स्वीकृति की अधिकतम सीमा परियोजना लागत का 2 प्रतिशत है। चुंकि कार्य की अनुमानित लागत रू. 2.50 करोड़ है। अतः एसओपी अनुसार परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु राशि रू. 5.00 लाख से अधिक स्वीकृति संभव नहीं है।

प्राधिकरण के उक्त पत्र के क्रम में सलाहकार श्री सिद्वार्थ दास ने दिनांक 2.1.2018 को प्रतित्त्युतर प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया की राशि रू. 15.00 लाख (कर अतिरिक्त) से कम लागत में कार्य किया जाना संभव नहीं है। तत्पश्चात श्री सिद्वार्थ दास को टेलीफोन पर स्वीकृति की सीमाओं का हवाला देते हुए दिये गये प्रस्ताव पर पुनः विचार कर संशोधित प्रस्ताव देने हेतु निवेदन किया गया। श्री दास के सन्दर्भित मेल से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें कार्य हेतु रू. 12 लाख (मय समस्त कर) की मांग की गई हैं।

उम्मेद उद्यान परिसर में स्थित म्यूजियम के जिर्णोद्वार/सौन्दर्यकरण का कार्य वर्तमान में कला व संस्कृति विभाग के अधीन प्रगतिरत हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रगतिरत कार्य हेतु सलाहकार श्री सिद्वार्थ दास हैं। अतः उम्मेद उद्यान के सम्पूर्ण विकास को एकरूपता से करवाने हेतु श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव कला व संस्कृति राजस्थान सरकार की अध्यक्षता

में दिनांक 2.8.2017 को हुई बैठक एवं तत्पश्चात श्रीमान् जिला कलक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2017 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार श्री सिद्दार्थ दास को सलाहकार नियुक्त करना उचित प्रतित होता हैं।

चुंकि प्राधिकरण मे प्रचलित एसओपी अनुसार परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु राशि रू. 5.00 लाख से अधिक की स्वीकृति संभव नहीं हैं किन्तु उपरोक्तानुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की धारा संख्या 17 (क) अनुसार राज्य सरकार से वितिय अनुमति (Delegation of financail powers) उपरान्त राशि रू. 12.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा सकती हैं।

रूडसिको जयपुर द्वारा आयुक्त नगर निगम जोधपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक 12207 दिनांक 29.11.2017 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना की कुल लागत का एक तिहाई भाग जोधपुर विकास प्राधिकरण को वहन करना हैं। वर्तमान में परियोजना की अनुमानित लागत रू. 250.00 लाख है जिसका एक तिहाई भाग रू. 83.33 लाख बनता हैं जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण को वहन करना प्रस्तावित हैं।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना पर वहन की जाने वाली राशि रू. 83.33 लाख एवं इस परियोजना की डीपीआर बनाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य की लागत रू. 12.00 लाख के अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार (रूडसिको) द्वारा उम्मेद उद्यान में विकास कार्यों के लिए नगर निगम के स्थान पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यकारी एजेन्सी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार कार्य की अनुमानित लागत 2.50 करोड रूपये की 33.33 प्रतिशत राशि कार्यकारी एजेन्सी को व्यय करनी होगी एवं शेष राशि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी। यद्यपि इस संबंध में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि इस संबंध में 33.33 प्रतिशत प्राधिकरण की हिस्सा राशि नगर निगम, जोधपुर से प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है। उक्त पत्राचार के कम में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का कार्य सम्पादित करवाया जावे एवं हिस्सा राशि के संबंध में नगर निगम से अपनी क्लैम चाराजोही अलग से जारी रखी जावे। परन्तु अमृत योजना का प्राजेक्ट एवं उम्मेद उद्यान के विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा ही करवाये जावे।

उक्त कार्य को करवाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार श्री सिद्धार्थ दास को सिंगल सॉर्स के द्वारा कन्सलटेन्ट नियुक्त करने का निर्णय अपेक्षित है। चूंकि श्री सिद्धार्थ दास द्वारा कन्सलटेन्सी कार्य के लिए 12.00 लाख रूपये की राशि की मांग की है जो कि आर.टी.पी.पी. एक्ट के द्वारा अनुमत है परन्तु प्राधिकरण की शिड्यूल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) के अनुसार प्रोजैक्ट राशि के 2 प्रतिशत से अधिक अर्थात् 5,00,000/- रूपये से अधिक कन्सलटेन्सी कार्य के लिए राशि स्वीकृत करना प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में नहीं हैं एवं इस संबंध में पूर्व में ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को 12.00 लाख रूपये के कन्सलटेन्सी कार्य की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि इस परियाजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने के लिए कन्सलटेन्सी कार्य की लागत 12.00 लाख रूपये की स्वीकृति नगरीय विकास विभाग से प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावे एवं उपरोक्त कार्य हेतु प्रोजेक्ट को प्राधिकरण से करवाने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या 36 :: माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देंशों के कम में भूखण्ड सख्या 24A कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजनाके बदले में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत(श्री मक्खन लाल राय पुत्र श्री मुकन लाला राय)।

प्रार्थी श्री मक्खन लाल राय पुत्र श्री मुकन लाल राय की भुमि कागा शीतला माता मन्दिर कागा रोड को आवाप्त करने के बदले में भूखण्ड स.24 सेक्टरA कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना मे 266.66 वर्गज का राज्य सरकार के पंत्राक F/3(123) नआ/74 दिनांक 5.10.1974 की पालना में भुखण्ड का आवंटन नगर सुधार न्यास द्वारा पूर्ण स्वामित्व के आधार पर आवंटित किया गया। एंव तत्कालीनं न्यास पंत्राक 865 दिनांक22.10.1974 को देने हेतु पत्र जारी किया गया था। तथा प्रार्थी द्वारा उपरोक्त पत्र के अनुसार दिनांक 21.2.1975 को आवाप्त भुमि शीतला माता कागा रोड का भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा नगर सुधार न्यास अधिकारी को सुर्पुद कर दिया था।

भुखण्ड सं.24A कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना की लौटरी दिनांक23.10.1983 को श्री मति चन्द्र महेश्वरी को आवंटन किया गया था। तथा उक्त भूखण्ड की लीज डीड भी उक्त प्रार्थी के नाम जारी की गई है। दोहरे आंवटन के फल स्वरूप प्रार्थी को सरस्वती नगर में भी भूखण्ड आवंटन का निर्णय लिया गया।

प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका संख्या 12716/2017 को भूखण्ड सख्या 24Aकमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना के एवज में अन्य भूखण्ड आंवटन हेतु याचिका दर्ज की गई। आवंटन भी किसी और के नाम होने से प्रार्थी को नही दिया जा सका। फिर प्रार्थी द्वारा नगर निगम जोधपुर में प्रयास किए गए। निगम जोधपुर द्वारा पत्रावली प्राधिकरण को भिजवा दी गई।प्राधिकरण के स्तर पर यह प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाकर उपर्युक्त दोनों क्षेत्र वर्तमान में निगम में होने के कारण लोटा दी गई।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना में नगर निगम एंव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की संयुक्त समिति का गठन किया गया। समिति प्रथम बैठक दिनांक 20.11.2017 को जोधपुर विकास प्राधिकरण, सचिव महोदय के कक्ष मे की गई।समिति के निर्णय की पालना में प्रार्थी को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.11.2017 को नोटिस जारी किया गया कि भुखण्ड संबधी एंव भुमि आवाप्ति के संबधी मूल दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करावें। नोटिस की पालना में प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.11.2017,18.12.2017 एंव 04.01.2018(मय सहमति शपथ पत्र)तथा 30.01.2018 को स्वंय उपस्थित होकर वास्तविक पहचान पत्रों के साथ अपना पक्ष रखते हुए कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रतियां व कुछ वास्तविक दस्तावेज(1)22101974 का सचिव युआईटी का पंत्राक865 जिसमें कब्जा सुपर्दगी का कहा गया था।(2) दिनांक 24.10.1975 का पंत्राक 435 जिसमें उनके द्वारा दि गई भुमि के बदले भुखण्ड सं.24 कमला नेहरू नगर को पूर्ण स्वामित्व के आधार पर आवंटन किया गया था।)प्रार्थी के भाई-बहनों द्वारा भी सहमति शपथ पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है।

सयुंक्त समिति के द्वारा विचार -विमर्श व उसी अनुरूप लिए गए निर्णय अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व पहचान पत्रों के अध्ययन उपरांत प्राथी का दावा उचित पाया गया है, तथा प्रार्थी को वैकल्पिक भूखण्ड कि कार्यवाही की जानी है। इस संबध में समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कों पालना भी दिनांक 02.02.2018 को पेश की जा चुकी है।अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

संयुक्त परिवेदना समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं जोधपुर नगर निगम के द्वारा लिये गये निर्णय एवं उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी श्री मक्खन लाल पुत्र श्री मुकन लाला राय का दावा उचित पाया गया है जिसके अनुसार कार्यकारी समिति में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी को रामराज नगर योजना में 266.66 वर्ग गज क्षैत्रफल का भूखण्ड पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर–ए. कमला नेहरू नगर के एवज में आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 37 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन अप्रेल 2018 से मार्च 2019 तक NIC/NICSI के माध्यम से करवाने बाबत्

जोधपुर विकास प्राधिकरण में NIC/NICSI द्वारा कम्प्यूटरराईजेशन का कार्य फरवरी 2013 से किया जा रहा है।

NIC/NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण में किया गया अब तक का कम्प्यूटराईजेशन NIC/NICSI द्वारा संतोष जनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में बजट 2018–19, ओडिट पेरा मेनेजमेन्ट सिस्टम, इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम (ऐस्टिमेट, A&F, टेक्निकल सेक्शन, एनआईटी वर्क आर्डर, रिवाईज ऐस्टिमेट, मेजरमेन्ट बुक, रनिंग बिल), मुख्यमंत्री जन आवास योजना के ऑनलाईन आवेदन का कार्य, ऑनलाईन सर्विसेज (नाम हस्तांतरण, मानचित्र स्वीकृति, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, बेचान अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भुगतान), प्रोपटी रजिस्टर, कम्प्यूटरराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्केनिंग आदि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन कार्य हेतु सालाना 150 लाख का बजट प्रोविजन है।

NIC/NICSI द्वारा वर्तमान में प्रोजेक्ट प्रोपजल (अप्रेल 2017 से मार्च 2018) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जिसमें NIC/NICSI द्वारा प्राप्त वार्षिक Performa Invoice अनुसार अग्रिम भुगतान किया गया है।

अतः उपरोक्त कम्प्यूटराईजेशन अप्रेल 2018 से मार्च 2019 तक NIC/NICSI के माध्यम से करवाने का प्रस्ताव EC में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से एन.आई.सी./एन.आई.सी.एस.आई. द्वारा वर्तमान में प्रगतिरत् प्रोजेक्ट प्रिपरेशन (कम्प्यूटराईजेशन) का कार्य माह अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 38 :: ग्राम कुडी भगतासनी खसरा नं. 209 में दिनांक 10.12.2010 को नीलाम किये गये व्यावसायिक भूखण्ड की बकाया राशि मय ब्याज व शास्ती के जमा कराने के संबंध में।

खसरा नं. 209 ग्राम कुडी भगतासनी में व्यवसायिक भूखण्ड की नीलामी दिनांक 10.12.2010 को आयोजित हुई थी जिस समय भूखण्ड की आरक्षित दर 7200/– प्रति वर्गमीटर थी। भूखण्ड का क्षेत्रफल 4093.73 वर्गमीटर था जिसकी न्यूनतम बोली दर 15000/– प्रति वर्गमीटर रखी गई एवं उच्चतम बोली 15057/– प्रति वर्गमीटर पर तत्कालीन आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई थी। भूखण्ड की 1/4 राशि क्रमशः दिनांक 10.12.2010 एवं दिनांक 13.12.2010 को रूपये 5.00 लाख एवं 1.49 करोड़ जमा करवाये गये। भूखण्ड की

शेष 3/4 राशि जो कि 4.62 करोड हुई थी उसमें से 2 करोड की राशि दिनांक 07.04.2011 एवं 2.62 करोड़ की राशि दिनांक 21.04.2011 को जमा करवाई गई। उक्त राशि बोली अधिग्रहण तिथि से 90 दिवस पश्चात् जमा करवाई है जिस पर वसूली योग्य 15 प्रतिशत ब्याज एवं 5 प्रतिशत शास्ती की राशि 55.83 लाख होती है जो प्रार्थी में बकाया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर का पत्र दिनांक 29.08.2011 को प्राप्त हुआ था जिसमें परिवादी श्री यू. आर. बेनीवाल द्वारा नीलमी में भारी अनियमितता की शिकायत की गई थी जिसका जवाब प्राधिकरण द्वारा श्रीमान् सचिव लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्राधिकरण आयुक्त द्वारा कार्यालय पत्रांक 613 दिनांक 04.01.2012 को भिजवाया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्थानीय अकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गम्भीर अनियमितता/प्रस्तावित प्रालेख श्रेणी 'अ' बनाया गया था जिसमें 3/4 राशि जमा नहीं होने एवं प्राधिकरण कार्यालय निकट वर्ती क्षेत्रों की स्वीकृत नीलामी दर से कम दर पर उक्त बोली स्वीकृत करने का आक्षेप भी लगाया गया था यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भी पत्र दिनांक 14.02.2012 के मार्फत यह प्रकरण प्राधिकरण में भिजवाया गया था। जिसका जवाब इस कार्यालय पत्र क्रमांक 490 दिनांक 10.07.2012 द्वारा भिजवाया गया था। वर्तमान परिस्थितियां यह है कि नीलामी आयोजित हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके है एवं प्रार्थी द्वारा ब्याज एवं शास्ती की राशि जमा नहीं करवाई गई है जिसका कारण उनके द्वारा यह बताया गया कि उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण है जिसे हटाने पर ही कब्जा दिया जा सकता है। प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा 05.02.2018 की रिपोर्ट अनुसार उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया है। चूंकि प्रकरण में दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है इसलिए इसे नियमित करने का क्षेत्राधिकार आयुक्त प्राधिकरण एवं कार्यकारी समिति को नहीं होकर राज्य सरकार को है। अतः चूंकि पूर्व में यह प्रकरण कार्यकारी समिति में नहीं रखा गया है तथा प्रकरण को नियमित करने अथवा नहीं करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 06.06.2017 के कम में नीलामी बोली के कम में बेस दर निर्धारण/अंतिम बोली निर्धारण के संबंध में।

नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 11 (40) नविवि/ 2016 दिनांक 6 जून, 2017 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि प्राधिकरण को उनके द्वारा पूर्व में निर्धारित न्यूनतम नीलामी दर अधिक पायी जाती है तो न्यूनतम नीलामी दर को कम करने हेतु/पुनः निर्धारित करने हेतु निर्णय कार्यकारी समिति/ ट्रस्ट की बैठक में लिया जाकर न्यूनतम नीलामी दर को निर्धारित किया जावे। इस संबंध में दिनांक 5 फरवरी, 2018 को आयुक्त, जोधपुर की विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें निदेशक–वित्त, सचिव, उपायुक्त समस्त एवं कार्यवाहक निदेशक–अभियांत्रिकी ने भाग लिया। उक्त बैठक में राज्य सरकार के निर्देशों के कम में वस्तुस्थिति के संबंध में विचार विमर्श किया गया जिससे यह पाया गया कि गत दो वर्षो में प्राधिकरण द्वारा जितनी भी नीलामी आयोजित की गयी है उनमें से 95 प्रतिशत से अधिक नीलामी प्रतिस्पर्धा नहीं होने, बोलीदाता उपस्थित नहीं रहने अथवा उपयुक्त स्तर तक बोली प्राप्त नहीं होने के कारण रद्द कर दी गयी। इस प्रकार समाचार–पत्रों में विज्ञापन, प्रचार प्रसार व टेन्ट आदि का व्यय भी प्राधिकरण पर बौझ के रूप में पडा है। वर्तमान मं जो नीलामी की प्रकिया अपनायी जा रही है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। जिससे यह पाया गया कि किसी भी क्षैत्र विशेष में भूखण्ड की नीलामी के लिए न्यूनतम दर वह

रखी जा रही है जो इस क्षैत्र विशेष में नीलामी बोली के रूप में गत नीलामी में स्वीकृत हुई। जबकि राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधान संख्या–6 में स्पष्ट है कि न्यूनतम नीलामी दर ट्रस्ट/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आरक्षित दर होनी चाहिए। इस संबंध में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पत्र कमांक जोविप्रा/2015/585– 597 दिनांक 1 जून, 2015 के द्वारा आरक्षित दर को न्यूनतम बिकी मूल्य मानकर बोली प्रारम्भ करने के निर्देश भी जारी किये गये थे। जिसकी पालना भी नहीं की जा रही है। अतः वर्तमान मंदी की स्थिति को एवं गत दो वर्षों की नीलामी की असफलता को देखते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में न्यूनतम नीलामी दर अर्थात् Base Value को वर्तमान आरक्षित दर गुणा 1.2 रखा जावे एवं अन्तिम नीलामी दर अर्थात् स्वीकृत की जाने वाली दर को भी उस क्षैत्र में पूर्व स्वीकृत हुई नीलामी दर का आंकलन कर उससे 20 प्रतिशत तक कम करके स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव आगामी बैठक में रखकर इस पर अपेक्षित निर्णय करवाया जावे।

इसके अतिरिक्त राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधान संख्या–12 सपठित प्रावधान संख्या–6 में यह उल्लेख है कि किस प्रकार किस क्षैत्र विशेष की आरक्षित दर निर्धारित की जावेगी। अतः इस हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें प्रस्तावित आरक्षित दर जोनवार तैयार कर आयुक्त महोदय के माध्यम से कार्यकारी समिति/प्राधिकरण को प्रस्तुत करके उस पर निर्णय करवाया जाना अपेक्षित है। उक्त कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष – सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष – निदेशक–वित्त, सदस्य सचिव – संबंधित उपायुक्त, सदस्य – निदेशक (अभियांत्रिकी) अथवा उनके प्रतिनिधि जो अधीक्षण अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो, गठित की जावे। इस संबंध में संबंधित उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि वह अपने जोन में प्रचलित आरक्षित दर का जोनवार विस्तृत विवरण तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करे जिस पर विचार विमर्श कर समिति अपनी अनुशंषा आयुक्त, प्राधिकरण, जोधपुर को भिजवायेगी।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श प्रस्तुत तथ्यों के प्रकरण में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माह मार्च, 2019 तक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भूखण्ड नीलामी के बोली का प्रारम्भ आरक्षित दर से किया जावे एवं अन्तिम नीलामी बोली का निस्तारण करते समय उसी क्षेत्र में पूर्व में हुई अधिकतम नीलामी राशि से 20 प्रतिशत कम राशि तक भी अनुमोदित किया जा सकता है। माह मार्च, 2019 के पश्चात् उक्त प्रस्ताव पर पुनःर्विचार कर समिति द्वारा अन्तिम नीलामी बोली की स्वीकृति के "केप" को संशोधित /योजना की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार पुनःर्विचार किया जावे। उक्त प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण की स्वीकृति/अस्वीकृति के कम में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 40 :: श्री लाला राम जोलिया के भूखण्ड संख्या 44/4 रामराज नगर के स्थान पर अन्य भूखण्ड हेतु।

प्रार्थी श्री लाला राम जेालिया पुत्र श्री जेठा राम को तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर की आवासीय योजना दन्तों पन्त ठेगडी नगर में भूखण्ड संख्या 568 लोटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन हुआ था। जिसका क्षेत्रफल 39X69 =250 वर्ग मीटर है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भुखण्ड की पूर्ण राशि जमा करा दी गई थी।जिसकी सडक की चौडाई 40 फीट है।

उपर्युक्त आवंटित भूखण्ड संख्या 568 दन्तों पन्त ठेगडी नगर पर अतिक्रमण होने से प्रार्थी कों प्राधिकरण बैठक दिनांक13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(3)के निर्णय की पालना में

वैकल्पिक भूखण्ड आवांटन की लौटरी दिनांक 14.10.2010 को भुखण्ड सख्या 44सेक्टर 4 राम राज नगर में आवंटन किया गया था। चुंकि उक्त भूखण्ड की मौका रिपोर्ट संबधित कनिष्ठ अभियंता से मंगवाने पर भुखंण्ड का क्षेत्रफल404.93 वर्गमीटर है। जो की प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड 568 का क्षुत्रफल 250 वर्ग मीटर है के अनुसार उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल अधिक क्षेत्रफल है। अत: नियमानुसार भूखण्ड का अधिक क्षेत्रफल 100.0वर्ग तक का नियमन डबल ऑफ द रिर्जव प्राइज लेकर किया जा सकता है। किन्तु उक्त भूखण्ड 100वर्ग से अधिक क्षेत्रफल का है।भूखण्ड सं44 सेक्टर4 राम राज नगर जो कि भूखण्ड कोर्नर होने से भूखण्ड के दक्षिण में सडक 40फीट व पूर्व में 80 फीट है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक17.12.2012 के प्रस्ताव संख्या 3 में निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 44 सेक्टर4 राम राज नगर का भूखण्ड कोर्नर है अतः इसे निलामी से विक्रय किया जावे तथा इसके बदले अन्य भूखण्ड उसी ब्लॉक में कोर्नर नही हो,का आवंटन किया जावें।

उक्त प्रकरण कार्य कारी समिति बैठक दिनांक 3.3.2017 के प्रस्ताव संख्या 18 में निर्णय लिया कि भूखण्ड संख्या 44 सेक्टर 4 राम राज नगर का भूखण्ड कोर्नर है अतः प्रार्थी को विकल्प स्वरूप राम राज नगर योजना में समतुल्य क्षेत्रफल एंव सडक की चौडाई का अन्य भूखण्ड जो कि कोर्नर का भूखण्ड नही हो,आवंटिन करने का निर्णय लिया है।

कार्य कारी समिति बैठक दिनांक 3.3.2017 के निणर्य कि पालना में संबधित कनिष्ठ अभिंयता से राम राज नगर सेक्टर 1 में भुखण्ड संख्या 291,292,296,297,298 मौके पर अतिक्रमण है। तथा भूखण्ड संख्या 333 से 342,345,347,348एंव 351 से 354 तक के भुखण्डों की मौका रिर्पोट मंगवाई गई ।तथा राम राज नगर सेक्टर 4 के भूखण्ड 2 से 9 तक की रिर्पोट प्रस्तुत की गई थी। उक्त भुखण्ड मौके पर रिक्त है तथा सडक की चौडाई 100 फीट है।प्रार्थी श्री लाला राम जोलिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राम राज नगर सेक्टर 4 में भूखण्ड संख्या 2 से 9 तक मे से कोई भी भुखण्ड आंवटन किया जावें तथा इसमें से भूखण्ड संख्या 5 अथवा 7 का आंवटन करने की सहमति प्रस्तुत की गई।अतः भूखण्ड संख्या 5 राम राज नगर सेक्टर 4 की सडक की चौडाई 100 फीट है अतः प्रकरण कार्य कारी समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णायाथ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी श्री लालाराम जेलिया को प्रस्तुत तथ्यों के प्रकरण में रामराज नगर सेक्टर–4 में भूखण्ड संख्या 5 आवंटन किया जावे। उक्त भूखण्ड के क्षैत्रफल का पुनः माप करवा लिया जावे। पूर्व में मूल आवंटित क्षैत्रफल से यदि अधिक क्षैत्रफल पाया जाता है तो अधिक क्षैत्रफल की कीमत राशि वर्तमान आरक्षित दर की दुगनी दर से वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 41 :: करमा बाई महिला शिक्षा प्रसार एवं ग्रामीण विकास सेवा संस्थान को भूमि आवंटन।

अध्यक्ष करमा बाई शिक्षा एंव ग्रामीण विकास मानव सेवा संस्थान ओसिया,जोधपुर द्वारा नविन आंवटन निति के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किसान मजदुर एंव ग्रामिण क्षेत्र में गरिब तबके के लाभ हेतु एंव महिला शिक्षा के प्रसार हेंतु। खसरा न.761 में 10बीघा भुमि आवंटन की मांग की है।

तहसीलदार एंव पटवारी पश्चिम से खसरा संबधि एंव भुमि की उपलब्धता हेतु मौका रिर्पोट मांगी गई थी। जिसके अनुसार ग्राम तिंवरी खसरा न.761 रकबा 256 बीघा गैर–मुमकिन

गोचर राज्सव रिर्काड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है एंव चाही गई भुमि उक्त खसरे में रिक्त उपलब्ध है।

भु–उपयोग परिर्वतन हेतु निर्देशक आयोजना से मास्टर प्लान कर रिर्पोट ली गई। जिसमे अवगत कराया गया कि तिंवरी ग्राम की भुमि में भु–उपयोग निर्धारित करने हेतु सामान्य आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए है। खसरा विशेष 761 ग्राम तिंवरी पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) मे उक्त खसरा ग्रमिण क्षेत्र में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक20.07.2017 में व्यापक जन हित हेतु भु–उपयोग परिर्वतन हेतु प्रकरण राज्य सरकार से स्वीकृत किया जाना उचित है।

उपरोक्त प्रकरण में संरपच ग्राम पंचायत तिंवरी का शिकायती पत्र दिनांक 30.01.2018 को शाखा में प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार सरपंच की अनुपस्थिती में कोई भी अनापती प्रमाण पत्र या सहमती प्रस्ताव संस्थाओं या जाती एंव समाज विशेष द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उसे निरस्त समझा जावें।

प्रकरण कार्य कारी समिति बैठक में निर्णायत एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सरपंच, तिंवरी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत की गयी आपत्ति को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया क्योंकि वर्तमान में आवेदित भूमि खसरा संख्या 761 जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं कार्यकारी समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि करमा बाई महिला शिक्षा प्रसार एवं ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, ओसिया को ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 रकबा 256 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 10 बीघा भूमि सशुल्क वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ मय भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 42 :: नवसृजित पंचायत समिति तिंवरी हेतु आवासीय प्रयोजनार्थ भुमि आवंटन हेतु।

विकास अधिकारी तिवंरी द्वारा नवीन आवंटन निति 2015 के तहत प्रपत्र–स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंचायत समिति को आवासीय परिसर हेतु 10 बीघा भुमि खसरा न.761/22 में भुमि आवंटन की मांग की है।

तहसीलदार एंव पटवारी पश्चिम से खसरा संबधि एंव भुमि की उपलब्धता हेतु मौका रिर्पोट मांगी गई थी। जिसके अनुसार ग्राम तिंवरी खसरा न.761 रकबा 256 बीघा गैर–मुमकिन गोचर राज्सव रिर्काड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है एंव चाही गई भुमि उक्त खसरे में रिक्त उपलब्ध है।

भु–उपयोग परिर्वतन हेतु निर्देशक आयोजना से मास्टर प्लान कर रिर्पोट ली गई। जिसमे अवगत कराया गया कि तिंवरी ग्राम की भुमि में भु–उपयोग निर्धारित करने हेतु सामान्य आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए है। खसरा विशेष 761 ग्राम तिंवरी पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) मे उक्त खसरा ग्रमिण क्षेत्र में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक20.07.2017 में व्यापक जन हित हेतु भु–उपयोग परिर्वतन हेतु प्रकरण राज्य सरकार से स्वीकृत किया जाना उचित है।

प्रकरण कार्य कारी समिति बैठक में निर्णायत एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श पाया गया कि पंचायत समिति, तिंवरी को गत वर्ष 25 बीघा भूमि आवंटित की जा चुकी है। लिहाजा कार्यकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवासीय प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार की अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आवंटित किया जाना उचित नहीं है।

प्रस्ताव संख्या 43 :: मेघवाल जन जागृति एवं उत्थान समिति को खसरा नं. 761 में 10 बीघा भूमि आवंटन।

मेघवाल जन जागृति एंव उत्थान समिति ओसिंया के श्री गणपत लाल मेहरा द्वारा नवीन आवंटन निति 2015 के तहत प्रपत्र–अ प्रस्तुत कर नियोजन किया कि जन उपयोगी कार्य हेतु खसरा न.761 ग्राम तिवंरी में 10 बीघा भुमि आवंटन कारने की मांग की है।

उपरोक्त खसरे की तहसीलदार व पटवारी पश्चिम से मौका रिर्पोट मंगवाई जाने पर उपरोक्त खसरा राजस्व रिकोर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भुमि नखत बना धाम व केन्द्रिय विद्यालय को आंवटित भुमि के दक्षिण–पश्चिम में 10 बीघा भुमि रिक्त उपलब्ध है।

भु–उपयोग परिर्वतन हेतु निर्देशक आयोजना से मास्टर प्लान कर रिर्पोट ली गई। जिसमे अवगत कराया गया कि तिंवरी ग्राम की भुमि में भु–उपयोग निर्धारित करने हेतु सामान्य आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए है। खसरा विशेष 761 ग्राम तिंवरी पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।मास्टर प्लान 2031(प्रारूप) मे उक्त खसरा ग्रमिण क्षेत्र में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक20.07.2017 में व्यापक जन हित हेतु भु–उपयोग परिर्वतन हेतु प्रकरण राज्य सरकार से स्वीकृत किया जाना उचित है।

प्रकरण कार्य कारी समिति बैठक में निर्णायत एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार मेघवाल जन जागृति एवं उत्थान समिति को जनउपयोगी कार्य हेतु ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 रकबा 256 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 10 बीघा भूमि सशुल्क आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन एवं भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 44 :: 12वीं रोड़ चौराहा से डी.पी.एस. चौराहा तक सड़क सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण, ड्रैनेज एवं सौंन्दर्यीकरण का कार्य के लिए रूपये 13. 50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 12वीं रोड़ चौराहा से डी.पी.एस. चौराहा तक सड़क एन.एच. 25 है। यह सड़क सामरीक पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टी से महत्वपूर्ण है। यह सड़क जोधपुर संभागीय मुख्यालय को बाडमेर एवं बालोतरा (पचपदरा) से जोड़ती है जिस पर राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। यह सड़क 12वीं रोड़ चौराहे से पाल बालाजी होते हुए डीपीएस चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ के आबादी क्षेत्र के रहवासियों के आवागमन हेतु मुख्य सड़क है। उक्त सड़क की लम्बाई 6.8 किमी. है जिसमें 1.5 मीटर चौड़ा डिवाईडर (मिडियन) के दोनों तरफ 10.5 मीटर (3 लेन) चौड़ी है। सड़क विभिन्न स्थानों पर

क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जाना है। इसी क्रम में सड़क के दोनों तरफ पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त नाला मरम्मत, नवीन नाला निर्माण एवं कवरिंग कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि वर्षा के समय सड़क पर इकट्ठे होने वाले पानी की सुनियोजित निकासी की जा सके। उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य में सौंर्न्दयीकरण हेतु डिवाईडर/मिडियन में प्लान्टर लगाये जाने का कार्य, पानी भराव क्षेत्र में सी.सी. पेव्ड ब्लॉक लगाने का कार्य भी करवाया जाना है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 नवबंर 2017 के प्रस्ताव 38 में यह निर्णय लिया गया था कि उक्त सडक का अनुमोदन व परिक्षण PWC की बैठक में करवाकर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

इस प्रस्ताव की पालना में **PWC की बैठक दिनांक 29 नवबंर 2017** में रखा गया तथा PWC द्वारा इस कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति रू 1350.00 लाख की जारी करने की अनुशंसा की गई । चुकिं कार्य की अनुमानित लागत रू 5.00 करोड से अधिक होने के कारण कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना हैं।

अतः 12वीं रोड़ चौराहा से डी.पी.एस. चौराहा तक सड़क सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण, ड्रैनेज एवं सौंर्न्दयीकरण का कार्य हेतु **रूपये 13.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति** प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से 12वीं रोड चौराहा से डी.पी.एस. चौराहा तक सडक सुदृढीकरण, चौडाईकरण, ड्रैनेज एवं सौन्दर्यकरण के कार्य के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पब्लिक वर्क्स कमेटी (पी.डब्ल्यू.सी.) की अनुशंषा के कम में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निवेदन लिया गया कि प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावे एवं यदि उक्त कार्य के सम्बन्ध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना हो तो वह भी पहले प्राप्त कर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 45 :: ग्राम मेघलासिया पटवार हल्का जोलियाली खसरा नं. 137/1 किस्म गोचर रकबा 28 बीघा में से 1000 वर्गमीटर आंगनवाडी केन्द्र के लिए भूमि आवंटन बाबत।

ग्राम मेघलासिया खसरा नं. 137/1 में आंगनवाडी केन्द्र के लिए भूमि आवंटन हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक :– एफ3(55)न.वि.वि./3/2002 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्राधिकरण को 1000 वर्गमीटर भूमि संस्थाओं को निःशुल्क आवंटन की जा सकती है । अतः ग्राम मेघलासिया पटवार हल्का जोलियाली खसरा नं. 137/1 किस्म गोचर रकबा 28 बीघा में से 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र के लिए आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम मेघलासिया के खसरा संख्या 137/1 किस्म गौचर रकबा 28 बीघा पटवार हल्का जोलियाली में आंगनवाडी केन्द्र के

12/2/18

लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि हेतु उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे आंगनवाडी केन्द्र अनुज्ञेय है। लिहाजा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि उक्त आंगनवाडी केन्द्र को निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व भू–उपयोग व मौके की स्थिति का परीक्षण कर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 46 :: ग्राम रसीदा पटवार हल्का फिटकासनी खसरा नं. 181 किस्म गोचर रकबा 123 बीघा में से 1000 वर्गमीटर आगनवाडी केन्द्र के लिए भूमि आवंटन बाबत् ।

ग्राम रसीदा खसरा नं. 181 में आंगनवाडी केन्द्र के लिए भूमि आवंटन हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक :– एफ3(55)न.वि.वि./3/2002 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्राधिकरण को 1000 वर्गमीटर भूमि संस्थाओं को निःशुल्क आवंटन की जा सकती है । अतः ग्राम रसीदा पटवार हल्का फिटकासनी खसरा नं. 181 किस्म गोचर रकबा 123 बीघा में से 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र के लिए आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम रसीदा के खसरा संख्या 181 किस्म गौचर रकाब 123 बीघा पटवार हल्का जोलियाली में आंगनवाडी केन्द्र के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि हेतु उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ है। लिहाजा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि उक्त आंगनवाडी केन्द्र को निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व भू–उपयोग व मौके की स्थिति का परीक्षण कर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 47 :: ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन पटवार हल्का सालावास खसरा नं. 293 किस्म बारानी द्वितीय 18.12 बीघा में से 1000 वर्गमीटर आगनवाडी केन्द्र के लिए भूमि आवंटन बाबत्

ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन खसरा नं. 293 में आंगनवाडी केन्द्र के लिए भूमि आवंटन हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक :– एफ3(55)न.वि.वि./3/2002 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्राधिकरण को 1000 वर्गमीटर भूमि संस्थाओं को निःशुल्क आवंटन की जा सकती है । अतः ग्राम सालावास रेल्वे स्टेशन पटवार हल्का सालावास खसरा नं. 293 किस्म बारानी द्वितीय रकबा 18.12 बीघा में से 1000 वर्गमीटर भूमि आंगनवाडी केन्द्र के लिए आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम सालावास रेलवे स्टेशन के खसरा संख्या 293 रकबा 18–12 बीघा किसम बारानी–द्वितीय पटवार हल्का सालावास में आंगनवाडी केन्द्र के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि हेतु उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे आंगनवाडी केन्द्र अनुज्ञेय है। लिहाजा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि उक्त आंगनवाडी

केन्द्र को निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व भू–उपयोग व मौके की स्थिति का परीक्षण कर लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 48 :: राजकीय विभागों के लिए भूमि आवंटन बाबत।

राजकीय विभागों के लिए भूमि आवंटन बाबत निम्नांकित प्रकरण बाद परीक्षण कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

क. सं.	विभाग का नाम	आवेदन विवरण	आवेदित क्षैत्रफल	ग्राम	खसरा नंबर कुल रकबा, किस्म	भूमि स्वामित्व जमाबंदी अनुसार	भू उपयोग	संबंधित जोन	Remarks
1–	कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर	राजकीय पशु चिकित्सालय उप केन्द्र सालवां कलां के उपयोग हेतु	1000 मीटर	सालवा कलां	327, 801.10 बीघा गौचर	J.D.A. के नाम दर्ज है।	Rural Area	उत्तर	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के कम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
2–	उपनिदेशक, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभग	आंगनवाडी केन्द भवन निर्मण हेतु	1000 मीटर	बम्बोर दर्जियान	284, 31–13 बीघा गैर मुमकिन औरण	J.D.A. के नाम दर्ज है।	Rural Area	पश्चिम	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के कम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
3–	उपनिदेशक निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु	1000 मीटर	बडली	88 3306–16 बीघा गैर मुमकिन छीतर	J.D.A. के नाम दर्ज है। 797–18 बीघा	Rural Area	पश्चिम	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के कम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएंगा।
4–	उप निदेशक निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	आंगनवाडी केन्द्र भवन मिर्नाण हेतु	1000 मीटर	दईकडा ढाको बास	579 34–11 बीघा गैर मुमकिन लाटा	J.D.A. के नाम दर्ज है।	Rural Area	पूर्व	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के कम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
5–	जोधपुर डिस्कॉम	33/11 केवीए सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन	1000 मीटर	खाराबेरा पुरोहितान	348 271–05 बीघा गौचर	J.D.A.	Rural Area	उततर	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के कम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
6–	जोधपुर डिस्कॉम	33/11 केवीए सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन	1000 मीटर	पालासनी	201/2 12 बीघा गैर मुमकिन आबादी	J.D.A.	Rural Area	दक्षिण	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के कम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
7–	जोधपुर डिस्कॉम	33/11 केवीए स स्टेशन हेतु	1000 मीटर	दईकडा	114 9–09 बीघा गैर	J.D.A.	PCB (2023)	पूर्व	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के कम में

		भूमि आवंटन			मुमकिन टीबा				प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
8–	जोधपुर डिस्कॉम	33/11 केवीए सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन	1000 मीटर	बड़ली	88 3306–13 बीघा गैर मुमकिन छितर	J.D.A. के नाम दर्ज 797–18 बीघा	PCB (2023)	पश्चिम	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के क्रम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
9–	समाज कल्याण विभाग	अनुसूचित जाति की बालिका छात्रावास की भूमि आवंटन हेतु	2 बीघा	ग्राम बावडी	1464/1 61–09 बीघा गैर मुमकिन गौचर	J.D.A. के नाम		उत्तर	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के क्रम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
10–	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	10 बीघा	लूणावास खुर्द	112 23–16 बीघा गैर मुमकिन गौचर	J.D.A. के नाम	(DRAFT) Rural + Part U3		राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के क्रम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
11–	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	05 बीघा	हमीर नगर	320 53–08 बीघा गैर मुमकिन गौचर	J.D.A. के नाम	RURAL		राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के क्रम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।
12–	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर	विद्यालय भवन एवं खेल मैदान	5 बीघा	मोगड़ा कलां	295 601–12 बीघा गैर मुमकिन गौचर	J.D.A. के नाम	KH MAP NOT AVAILABLE	च्छ	राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के क्रम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1– प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त वर्णित तालिका के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 में वर्णित प्रकरण में बाद भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति के निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया जाता है।

2– उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 5, 6, 7 और 8 के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि बाद राज्य सरकार की स्वीकृति मय भू–उपयोग परिवर्तन के नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 6 अगस्त, 2009 के क्रम में प्रचलित आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवेदित क्षैत्रफल 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन की जावे।

3— उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 9, 10, 11 व 12 में मय भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदित क्षैत्रफल तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

4— उपरोक्त सभी प्रकरणों में यह भी निर्देशित किया गया कि संबंधित तहसीलदार/पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण कर मौके की वास्तविक स्थिति का आंकलन कर उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 9 से 12 में वर्णित प्रकरणों में आवेदित किये जाने वाले क्षैत्रफल का औचित्य का परीक्षण भी कर लिया जावे एवं यदि उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 9 से 12 में वर्णित प्रकरण में आवेदित करने के लिए भूमि का औचित्य आवंटित क्षैत्रफल से कम पाया जाता है तो उसी अनुरूप प्रकरण को मय अभिशंषा राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या एफ 46/आवंटन शाखा/ E/C बैठक/17 कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 85 /एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

12/2/18

(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2018/197-213 दिनांक :: 12 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय/उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I/II/III जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

12/2/18

(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 9 फरवरी, 2018 को दोपहर 3.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री छगन लाल गोयल, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
2.	श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3.	श्री स्वरूप सिंह, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
4.	श्री (डॉ.) डी.के. पेडिवाल, अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5.	श्री राजकुमार कल्ला, अधिशाषी अभियन्ता– सिटी डिविजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6.	श्री ओ.पी. सुथार, अधिशाषी अभियन्ता, बी जोन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
7.	श्री पंकज, कम्प्यूटर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
8.	श्री शानू प्रताप, पर्यटन विभाग, जोधपुर
9.	श्री डी.के. मीना, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री विरेन्द्रसिंह चौधरी, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री राकेश कुमार शर्मा, विशेषाधिकारी (भूमि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18.	श्री मुकेश मीणा, अधिशाषी अभियन्ता (पीएचई), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव